अल्पसंख्यकों की शिक्षा

नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएँ

बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न

UNDER PUBLICATION

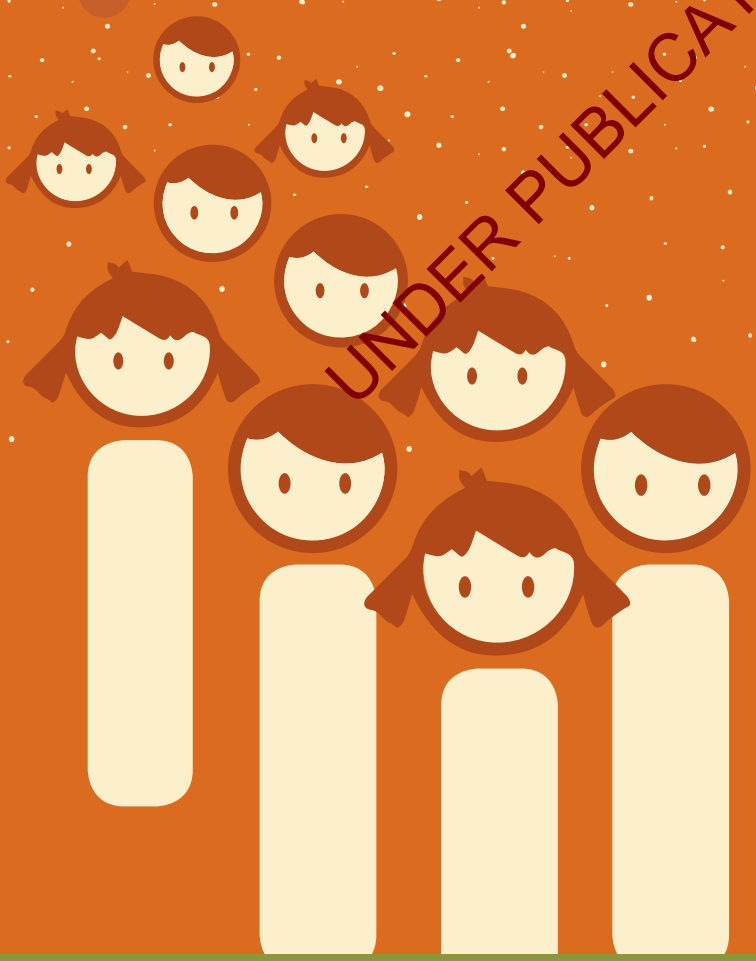

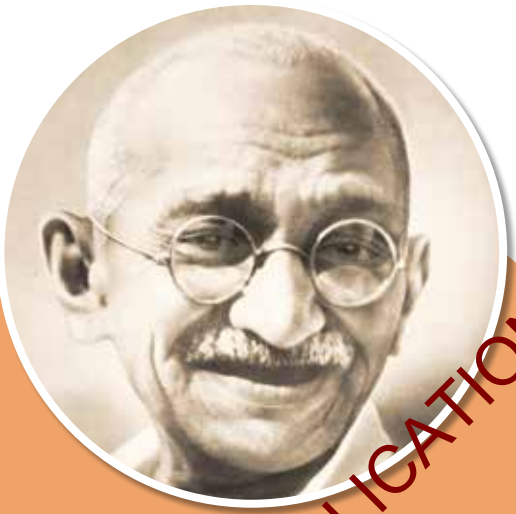

“एक सभ्यता को अल्पसंख्यकों के प्रति उनके व्यवहार से परखा जा सकता है।”

– महात्मा गांधी

UNDER PUBLICATION

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएँ

बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न

UNDER PUBLICATION

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
National Council of Educational Research and Training

ISBN 978-93-5007-834-1

पहला संस्करण

नवंबर 2017

PD IT BS

© **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्**, 2017

- इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी भी तरह पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता, न ही इसे पुनः प्राप्ति प्रणाली में भण्डारित या संप्रेषित किया जा सकता है।
- यह पुस्तक इस शर्त के अधीन उपलब्ध कराई जा रही है कि इसे व्यापार, किराए, पुनः बिक्री या अन्यथा उद्देश्य हेतु बाइंडिंग या आवरण के किसी भी रूप में प्रकाशक की सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसमें इसे प्रकाशित किया गया है।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पेज पर मुद्रित किया गया है। रबर की मुहर या स्टिकर द्वारा संशोधित मूल्य गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

प्रकाशन विभाग का कार्यालय, एन.सी.ई.आर.टी.

एन.सी.ई.आर.टी. परिसर

श्री अरविंदो मार्ग

नई दिल्ली 110 016 फोन: 011 - 26562708

108, 100 फीट रोड

होस्डाकेरे हाली एक्सटेंशन

बनशाखरी 3 स्टेज

बैंगलुरु 560 085 फोन: 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट बिल्डिंग

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 3800 014 फोन : 079 - 27541446

सीडब्ल्यूसी कैम्पस

ढंकल बस स्टैंड पनिहती के पीछे

कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सीडब्ल्यूसी कॉम्प्लेक्स, मालीगांव

गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361 - 2674869

UNDER PUBLICATION

प्रकाशन दल

प्रमुख, प्रकाशन: एम. सिराज अनवर

प्रभाग

मुख्य संपादक: श्वेता उप्पल

मुख्य व्यापार प्रबंधक: गौतम गांगुली

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी): अरुण चित्कारा

संपादक: बिज्ञान सुतार

उत्पादन सहायक: प्रकाश वीर सिंह

आवरण

ब्लू फिश डिजाइन प्रा. लि.

80 जीएसएम कागज पर मुद्रित

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशन विभाग में प्रकाशित और

एजुकेशनल स्टोर्स, एस - 5,

बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, साइट 1, गाजियाबाद (उ. प्र)

यह पुस्तिका अंग्रेज़ी और उर्दू संस्करण में भी उपलब्ध है

आमुख

भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुनृजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ विविधता ही इसकी शक्ति है। भारत सरकार ने धार्मिक और भाषायी , दोनों अल्पसंख्यकों हेतु कुछ प्रावधान किये हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने 6 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक समूह के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जौरास्ट्रियन (पारसी) और जैन शामिल है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रगति तथा समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसा ही एक प्रयास प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाया गया है और यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों को शामिल किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत कुल 15 प्रतिशत परिव्यय अल्संख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए लक्षित किया गया है, ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) का लक्ष्य पूरा किया जा सके, साथ ही विद्यालयों, कक्षाओं, शिक्षकों के लिए मूल संरचनात्मक अंतरालों को पाटा जा सके तथा नए विद्यालय खोलकर उपलब्धता का विस्तार किया जा सके। सरकार के विभिन्न प्रयास और योजनाएँ अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उपलब्धता और समानता में सुधार करते हुए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं।

इस पुस्तिका का विकास विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, अन्य पक्षकारों और संस्थाओं के बीच अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस पुस्तिका से सभी के लिए समावेशी शिक्षा विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में संवैधानिक प्रावधानों, मौजूदा नीतियों और संगत अधिनियमों के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने में भी मदद मिलेगी। इस पुस्तिका पर रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।

हृषिकेश सेनापति
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली
नवंबर 2017

UNDER PUBLICATION

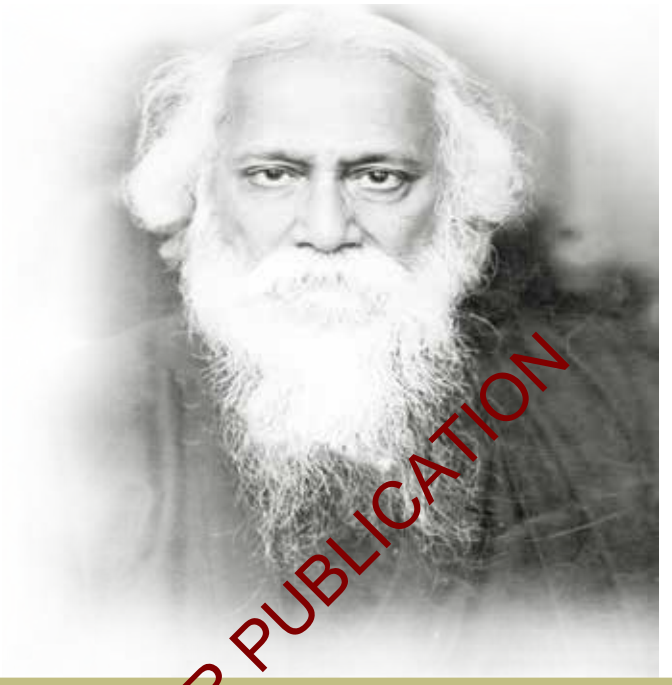

UNDER PUBLICATION

“समस्या यह नहीं है की सभी मतभेदों को कैसे भुलाया जाए, बल्कि यह है कि सभी मतभेदों के साथ एकता कैसे रखी जाए।”

— रबींद्रनाथ टैगोर

प्राक्कथन

"**अल्पसंख्यकों की शिक्षा – नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएँ: बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न**" एक दल के प्रयासों का परिणाम है जिसमें भारत सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न उपायों पर व्यापक पुस्तिका तैयार की गई है। सघन अनुसंधान,चर्चाओं और कार्यशालाओं से इस पुस्तिका को बनाया गया है। कार्यशालाओं के दौरान, एनसीईआरटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्यों का एक दल तथा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन उद्देश्यों, सामग्री, प्रस्तुतीकरण की शैली, लाभों, प्रसार और पुस्तिका के उपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के दौरान स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों और युवाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक योजनाओं तथा छात्रवृत्तियों पर प्रमुख बल दिया गया। सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मौजूदा स्रोतों का उपयोग करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा के प्रावधानों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है।[1]

इस पुस्तिका में पाठक संबंधित अधिनियमों, बड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रयासों के मामले में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयास, योजनाओं की विभिन्न विशेषताएँ और उनके लाभ उठाने के तरीकों के बारे में जानकारी पाएँगे जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में हस्तक्षेपी योजनाओं के माध्यम से विकास के प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित किया गया है। पुस्तिका में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के आकलन, निगरानी, मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक निकायों, संस्थानों, समितियों और आयोगों द्वारा निभायी गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। यह विशेष रूप से 2006 में सच्चर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की ओर ध्यान आकर्षित करती है और अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के लिए शैक्षिक सुविधाओं के सुधार के संबंध में किया गया प्रयास है। यह पुस्तिका अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी), दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों और मास्टर-प्रशिक्षकों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के संचालन में तथा एनसीईआरटी और इसकी घटक इकाइयों की भूमिका के साथ अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के लिए राज्य पदधारियों के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए भी है।

इस पुस्तिका के संलग्नकों में जनसांख्यिकी, अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी), राज्य अल्पसंख्यक आयोगों, अरबी मदरसों/महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों, योजनाओं और अधिक जानकारी के लिए संदर्भ के बारे में ब्योरे दिए

UNDER PUBLICATION

[1]नवंबर 2017 तक अद्यतन

गए हैं। कृपया ध्यान दें कि इस पुस्तिका में संपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया जा सकता है और राज्यों में मानदंड भिन्न हो सकते हैं। आसान संदर्भ के लिए, पुस्तिका के साथ एक विवरणिका भी है जो सरकार की नीति, कार्यक्रमों और योजनाओं का सिंहावलोकन प्रदान करती है।

अक्सर ऐसा होता है कि सुविधाएँ, सेवाएँ और आवास उपलब्ध हैं लेकिन उनकी उपलब्धता के बारे में जागरूकता कम होती है। हमें उम्मीद है कि यह पुस्तिका विद्यार्थियों, माता-पिता, शिक्षकों और अन्य पक्षकारों के बीच सरकार की प्रमुख योजनाओं और प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अनुपम आहूजा
अध्यक्ष
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी

नई दिल्ली
नवंबर 2017

UNDER PUBLICATION

अस्वीकरण

यह पुस्तिका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय और अन्य सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी पर केंद्रित है। इस पुस्तिका में दिये गए वेबसाइटों के सभी लिंक 29 नवंबर, 2017 को सुलभ थे। वेबसाइटों पर उपलब्ध सूचना में किसी प्रकार के परिवर्तन की ज़िम्मेदारी उपरोक्त तिथि के बाद नहीं ली जाएगी।

निर्माण समिति

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी

अध्यक्ष

मो. फारुक़ अंसारी, भाषा शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी

सदस्य

एलिजा बेथ गंगेमेई, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

फ्लोरेट जी. दखार, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग

आई. बी. चुगताई (विशेष आमंत्रित), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

कुंदा शामकुवार, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, एनसीईआरटी

एम. सिराज अनवर (विशेष आमंत्रित), प्रकाशन प्रभाग, एनसीईआरटी

एम. यू. पैली, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर

मुजाम्मिल हसन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

पूजा जैन, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी

रंजना अरोड़ा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एनसीईआरटी

संजय कुमार पंडागले, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

विनय कुमार सिंह, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी

जेंडर विशेषज्ञ

मोना यादव, जेंडर अध्ययन विभाग , एनसीईआरटी

अन्य विशेषज्ञ (अवकाशप्राप्त)

असफा एम. यासिन, पीएसएससीआईवीई, भोपाल

दिनेश कुमार शर्मा, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी

जी. रवींद्र, एनसीईआरटी

जे. एस. गिल, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग , एनसीईआरटी

कानन साधु, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी

समीक्षा विशेषज्ञ

फराह फारुकी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

इम्तियाज़ अहमद, जेएनयू, नई दिल्ली

सदस्य समन्वयक

अनुपम आहूजा, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग , एनसीईआरटी

UNDER PUBLICATION

आभार

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डीईजीएसएन) को उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देने का अवसर मिला है जिनके पूर्ण समर्थन, समर्पण और कड़े प्रयासों के बिना यह पुस्तिका "**अल्पसंख्यकों की शिक्षा – नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएँ: बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न**" पूरी नहीं हो पाती।

विभाग, एनसीईआरटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्यों और विशेष आमंत्रितों, जेंडर अध्ययन विभाग (डीजीएस) के पूर्व संकाय सदस्यों और संकायों से मिले योगदान और बहुमूल्य सहयोग का आभार व्यक्त करता है। समीक्षक इम्तियाज़ अहमद और फराह फारुकी, जिन्होंने इस पुस्तिका के लिए मूल्यवान सुझाव दिए, के साथ परामर्श भी फलदायी रहे। हम बाहरी समीक्षक एन.के.जंगीरा, *वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ*, विश्व बैंक और *पूर्व अध्यक्ष*, डीटीई, एनसीईआरटी, सुदेश मुखोपाध्याय, *पूर्व अध्यक्ष*, आरसीआई और प्रोफ़ेसर एवं समावेशी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष, एनयूईपीए के महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष रूप से कृतज्ञ हैं।

विभाग एनसीईआरटी के भाषा शिक्षा विभाग (डीईएल) के श्री फारूक अंसारी को धन्यवाद प्रेषित करता है, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने इस पुस्तिका के लिए अपना पूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया। हम सुशांत मोहंती, *परामर्शदाता*, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, एनसीईआरटी को भी इस पुस्तिका के विकास हेतु उनके विशेष प्रयासों के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं।

हम अवंतिका त्रिपाठी को इस पुस्तिका के सुस्पष्ट ढंग से अनुवाद करने के लिए उनके समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। अनुवाद की समीक्षा करने के लिए श्रीमती भारती, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग एवं श्री नरेश कोहली, भाषा शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी को विशेष धन्यवाद देते हैं। विभाग प्रणिता केशव, *वरिष्ठ अनुसंधान सहायक*, जिन्होंने पुस्तिका को पठनीय बनाने के लिए उसमें सुधार और बदलाव किये, के निष्ठापूर्ण प्रयासों और योगदान को स्वीकार करता है। रजित अरोड़ा, *वरिष्ठ अनुसंधान सहायक* ने वेबसाइटों की पुनः जाँच की और पुस्तिका को अंतिम रूप देने में आवश्यक मदद प्रदान की। हम राधा को संपादन के लिए, संजीव कुमार परमार, के.के.शर्मा, एन. एस. यादव और ऋचा प्रसाद को सम्पादित पुस्तिका की कड़ी मेहनत के साथ समीक्षा करने के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। अंत में हम अंजन प्रसाद और प्रमोद कुमार के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने डीटीपी ऑपरेटर और टाइपिंग सहायक के रूप में सहायता दी।

उन सभी के प्रति आभार की अभिव्यक्ति अनंत है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें योगदान दिया और हम उन सभी के प्रति आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तिका के विकास के विभिन्न स्तरों पर अपना योगदान दिया। हम पूरी निष्ठा से आशा करते हैं कि इस पुस्तिका से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों और युवाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयोजन पूरा होगा।

UNDER PUBLICATION

विषय-सूची

आमुख
प्राक्कथन
निर्माण समिति
आभार

अल्पसंख्यक समूहों को समझना 1

अल्पसंख्यक बहुल जिले 5

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम 7

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा उपाय 11

योजनाएँ 36

अन्य योजनाएँ 71

संलग्नक I 82
संलग्नक II 84
संलग्नक III 88
संलग्नक IV 90
संलग्नक V 95

UNDER PUBLICATION

UNDER PUBLICATION

“एक बच्चा, एक शिक्षक, एक पुस्तक और एक कलम विश्व को बदल सकते हैं।”

— मलाला युसुफ़ज़ई

अल्पसंख्यक समूहों को समझना

प्र.1 अल्पसंख्यक समूहों से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर अल्पसंख्यक उन लोगों का समूह है जिन्हें समाज में सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक सत्ता का आनुपातिक लाभ नहीं मिल पाता है। यह एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में 'अल्पसंख्यक' को कम संख्या या कम भाग के तौर पर परिभाषित किया गया है, जो समग्र के आधे से कम का प्रतिनिधित्व करता है; लोगों का अपेक्षाकृत छोटा समूह, जो अन्य लोगों से नस्ल, धर्म, भाषा या राजनीतिक धारणा में भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा 1946 में नियुक्त अल्पसंख्यक के अधिकारों के संरक्षण की एक विशेष उपसमिति ने 'अल्पसंख्यक' को इस प्रकार परिभाषित किया "किसी जनसंख्या में गैर-प्रमुख समूह, जो एक स्थिर जातीय, धार्मिक और भाषा संबंधी परंपरा या शेष जनसंख्या से उल्लेखनीय रूप से भिन्न विशेषताएँ रखने की इच्छा रखते हैं।"

प्र.2 भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को कैसे परिभाषित किया गया है ?

उत्तर भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि इसके अनुच्छेद 29, 30, 350क और 350ख में शब्द 'अल्पसंख्यक' का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 29 में शब्द 'अल्पसंख्यक' की लघु परिभाषा दी गई है और इसमें बताया गया है कि भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले या इसके किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों का एक वर्ग, जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें इनके संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियाँ बताई गई हैं – धार्मिक (धर्म संबंधी) और भाषा संबंधी। अनुच्छेद 350क और 350ख केवल भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों से संबंधित है। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी आयोग की रिपोर्ट दो भागों में विभाजित है। रिपोर्ट उपलब्ध है :

UNDER PUBLICATION

@ **http://www.minorityaffairs.gov.in/reports/national-commission-religious-and-linguistic-minoritie**

प्र.3 भारत में अल्पसंख्यक समूहों के कौन से विभिन्न प्रकार और वर्ग विद्यमान हैं ?

उत्तर राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों के दो प्रकारों – धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों को मान्यताप्राप्त हैं। वर्तमान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के वर्गों में शामिल हैं – मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (जौरास्ट्रियन) और जैन। राष्ट्रीय स्तर पर भाषा संबंधी अल्पसंख्यक बहुसंख्या में नहीं हैं। अतः अल्पसंख्यकों के दर्जे

पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर निर्णय लेना अनिवार्य होता है। यह किताब अल्पसंख्यकों से संबंधित है जिनके बारे में अनुच्छेद 30 में उल्लेख किया गया है।

प्र.4 अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत कौन आता है ?

उत्तर वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक, जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी (जौरास्ट्रियन) और जैन से संबंधित हो। इन समुदायों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 के तहत संघ सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। जैन समुदाय को भी 27 जनवरी 2014 को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है, गजट ए. नं. 1-1/2009 एन सी एम भाग -iii, खंड-3 , उपधारा -ii के भारत असाधारण, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी 2014 के संदर्भ के अनुसार।

@ **http://ncm.nic.in/pdf/jains_minorities.pdf**

प्र.5 भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के आँकड़े क्या हैं ?

उत्तर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या 17.22 करोड़ (14.23 प्रतिशत), ईसाई 2.78 करोड़ (2.30 प्रतिशत), सिख 2.08 करोड़ (1.72 प्रतिशत), बौद्ध 84.43 लाख (0.70 प्रतिशत) और जैन 44.51 लाख (0.37 प्रतिशत) है। जनगणना 2011 में पारसी (जौरास्ट्रियन) की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि द *हिन्दू* में छपे एक लेख *"पारसी पॉपुलेशन डिप्स बाय 22% बिटवीन 2001-2011: स्टडी"* (26 जुलाई 2016) में लिखा है कि वर्ष 2011 में कुल पारसी/जौरास्ट्रियन जनसंख्या घटकर 57,264 हो गई, जो कि वर्ष 2001 में 69,601 थी। अल्पसंख्यक जनसंख्या के वितरण को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्षेत्रवार जानने के लिए *संलग्नक I* देखें।

UNDER PUBLICATION

@ **http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-01.html**

प्र.6 हमारे देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक क्यों है ?

उत्तर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए अल्पसंख्यकों सहित सभी हाशिये पर के समूहों की रक्षा आवश्यक हो जाती है।

प्र.7 क्या सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अल्पसंख्यक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं ?

उत्तर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देने की योजना के साथ-साथ लगभग सभी अल्पसंख्यक कल्याणकारी उपाय; जैसे – अल्पसंख्यक संस्थानों में

अवसंरचना विकास (आईडीएमआई), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई रोशनी आदि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को उपलब्ध कराए गए हैं। हालाँकि कुछ विशिष्ट योजनाएँ संस्कृति, परंपरा, भाषा में विविधता को ध्यान में रखते हुए और विशिष्ट ज़रूरतों के लिए विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों में शैक्षणिक सशक्तीकरण पर बल देने के लिए जैसे मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एसपीक्यूईएम) और जियो पारसी (जौरास्ट्रियन) योजनाओं का आरंभ किया गया है।

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है:

@ http://www.nmdfc.org/index.aspx?langid=2

- नई रोशनी की वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है:

@ http://nairoshni-moma.gov.in/

- जियो पारसी की वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है:

@ http://www.jiyoparsi.org/

- अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) की वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है:

@ http://mhrd.gov.in/hi/idmi-hindi

UNDER PUBLICATION

प्र.8 देश में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर क्या है ?

उत्तर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देश में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत और अल्पसंख्यक समुदायों में: मुसलमानों में 68.5 प्रतिशत, ईसाइयों में 84.5 प्रतिशत, सिखों में 75.4 प्रतिशत, बौद्ध में 81.3 प्रतिशत और जैन में 94.9 प्रतिशत है। पारसी (जौरास्ट्रियन) की साक्षरता दर जनगणना 2011 में उपलब्ध नहीं है।

प्र.9 कोई अल्पसंख्यक विद्यार्थी अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए विद्यार्थी द्वारा स्व-घोषणा पर्याप्त है। हालाँकि, संबंधित राज्य की राज्य सरकार के अधीन प्राधिकारियों को भी अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र पाने के लिए संपर्क

किया जा सकता है। अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

http://ncmei.gov.in/index.aspx?langid=2

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार *Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities* (Ranganath Misra Commission Report). New Delhi.

The Hindu.(26 July, 2016). *"Parsi population dips by 22 per cent between 2001-2011: study."* http://www.thehindu.com/news/national/other-states/Parsi-population-dips-by-22-per-cent-between-2001-2011-study/article14508858.ece से लिया गया है।

भारत की जनगणना. (2011). *C-1 Population By Religious Community.* http://www.censusindia.gov.in/2011census/c-01.html से लिया गया है।

Mallapur, C. (July 2016). *"Muslims Lead Minority Literacy Rate Improvements Over Decade."* India Spend. http://www.indiaspend.com/making-sense-of-breaking-news/muslims-lead-minority-literacy-rate-improvements-over-decade-58184 से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

अल्पसंख्यक बहुल जिले

प्र.10 अल्पसंख्यक बहुल जिले कौन से हैं ?

उत्तर जनगणना 1971 के आँकड़ों के अनुसार जिले में 20 प्रतिशत या इससे अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या के एकल मानदंड के आधार पर 1987 में 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान कर सूची बनाई गई, ताकि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में इन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। संघ सरकार द्वारा 2001 की जनगणना के जनसंख्या के आँकड़ों और पिछड़ेपन के मापदंडों के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल जिलों को चुना गया है। पिछड़ेपन को सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर मापा जाता है।

- अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान करने के लिए जनसंख्या मानदंड – अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में प्रयुक्त "पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या" का प्रयोग किया गया है।
- अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम: 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान के लिए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुल जनसंख्या का कम-से-कम 25 प्रतिशत के मानदंड का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक की बड़ी जनसंख्या वाले जिलों, किंतु 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को अल्पसंख्यक बहुल जिलों के रूप में चुना गया है, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में है, जैसा कि 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में है वहाँ बहुसंख्यक के रूप में इस अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा जो 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको उस राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में मानदंड के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

UNDER PUBLICATION

पिछड़ेपन के मापदंड इस प्रकार हैं:

(क) धर्म - विशिष्ट सामाजिक - आर्थिक संकेतक:

- साक्षरता दर;
- महिला साक्षरता दर;
- कार्य में भागीदारी की दर; और
- महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर

(ख) बुनियादी सुविधाओं के संकेतक:

- पक्की दीवारों वाले घरों का प्रतिशत;
- शुद्ध पेयजल वाले घरों का प्रतिशत;
- बिजली वाले घरों का प्रतिशत; और
- डब्ल्यू/सी शौचालयों सहित घरों का प्रतिशत

प्र.11 कितने अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान की जा चुकी है ?

उत्तर केंद्र सरकार द्वारा जनगणना 2001 के आँकड़ों के आधार पर सामाजिक-आर्थिक विकास और सुविधाओं के 8 संकेतकों का उपयोग करते हुए 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान की गई है (अधिक जानकारी के लिए *संलग्नक II* देखें)।

प्र.12 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के वर्ग कौन-से हैं और उनके समूह बनाने का आधार क्या है ?

उत्तर अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मापदंडों के दोनों सेट के लिए राष्ट्रीय औसत से कम मान होने पर इन्हें अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ा हुआ माना जाता है और वर्ग 'क' (53 जिलों) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे जिले जहाँ पिछड़ेपन के मापदंडों के दोनों सेट में से किसी एक का मान राष्ट्रीय औसत से कम है तो उन्हें वर्ग 'ख' (37 जिलों) के रूप में वर्गीकृत किया गया है (*संलग्नक II* देखें)।

प्र.13 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ?

उत्तर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के विकास के लिए अधिक ध्यान दिया जाता है (अधिक जानकारी के लिए कृपया प्र.41, पृष्ठ 28 देखें)।

https://data.gov.in/

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

*अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. "बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के संदर्भ में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)".*http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/FAQ%20for%20MSDP%20in%20Hindi.pdf से लिया गया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

प्र.14 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम क्या है ?

उत्तर प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सकारात्मक कार्रवाई हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है।

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ाना;
- मौजूदा योजनाओं और नई योजनाओं के माध्यम से स्वरोज़गार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता तथा राज्य और केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती, आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार में अल्पसंख्यकों के लिए न्यायसंगत सुनिश्चित करना;
- आधारभूत संरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार; और
- सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम एवं नियंत्रण।

इसमें एक निश्चित अनुपात में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुँचें। इसमें यह भी बताया गया है कि जहाँ भी संभव हो, विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्यों और खर्च की 15 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित की जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया "अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम" देखें जो कि इस लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

UNDER PUBLICATION

@ **http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/pm15points_hguide.pdf**

इन 15 सूत्रों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:	
1.	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की समुचित उपलब्धता;
2.	विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना;
3.	उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन;
4.	मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण;
5.	अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति;
6.	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) के माध्यम से शैक्षणिक अवसंरचना को उन्नत करना;

7.	गरीबों के लिए स्वरोज़गार तथा मज़दूरी रोज़गार योजना;
8.	तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन;
9.	आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता;
10.	राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती;
11.	ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी;
12.	अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार;
13.	सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम;
14.	सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन; तथा
15.	सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों का पुनर्वास।

@ http://www.minorityaffairs.gov.in/hi

प्र.15 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम उनकी शिक्षा हेतु क्या परिकल्पना करते हैं ?

UNDER PUBLICATION

उत्तर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु कई योजनाओं की परिकल्पना करते हैं जैसे:

एकीकृत बाल विकास सेवा– एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का उद्देश्य है उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं का संपूर्ण विकास। इसके लिए आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं; जैसे- पोषण, स्वास्थ्य जाँच, प्रतिरक्षीकरण, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। आईसीडीएस परियोजना और आँगनवाड़ी केंद्र एक निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक घनी जनसंख्या वाले गाँव/ब्लॉकों (प्रखंडों) में स्थापित किए जाएँगे ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना– सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गाँवों/क्षेत्रों में स्थापित की जाये।

उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन– उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा के शिक्षकों की भर्ती और तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी, जो उस भाषा वर्ग से संबंधित कम-से-कम एक-चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हों।

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण– क्षेत्र-गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजना में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों

में बुनियादी शैक्षणिक अवसंरचना उपलब्ध कराती है तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराती है।

अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ– अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्तियाँ योजना बनाई और लागू की जाएँगी।

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षणिक अवसंरचना को उन्नत करना– सरकार मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) को सभी संभव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलाप को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

प्र.16 प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कौन-सी योजनाएँ अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई हैं ?

उत्तर निम्नलिखित योजनाएँ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपलब्ध कराई गई हैं –

प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत योजनाओं/पहलों का विवरण:	
क	योजनाएँ जो अल्पसंख्यकों के लिए 15% के निधीयन के लिए उत्तरदायी हैं:
i)	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाएँ;
ii)	आँगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) योजना की सेवाएँ प्रदान करना (महिला और बाल विकास मंत्रालय);
iii)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (भूतपूर्व स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना/आजीविका) (ग्रामीण विकास मंत्रालय);
iv)	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) (भूतपूर्व स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना) (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय);
v)	संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (एसजीआरवाई) [भूतपूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी)] (ग्रामीण विकास मंत्रालय);
vi)	नये और मौजूदा सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का उन्नयन; (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय)
vii)	प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तहत बैंक ऋण (वित्तीय सेवा विभाग);
viii)	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (ग्रामीण विकास मंत्रालय);
ix)	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) और जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम-अनुपालन हेतु दिशा निर्देश.* http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/pm15points_hguide.pdf से लिया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. संशोधित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम-अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/15pp-hindi.pdf से लिया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. पत्र सूचना कार्यालय. (July 2016). Implementation of PM's 15 Point Programme. http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=147449 से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा उपाय

प्र.17 अल्पसंख्यक समूहों की शिक्षा के लिए कौन-सी सकारात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं ?

उत्तर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अनेक सकारात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक समूहों द्वारा अपने संस्थान को चलाने के प्रावधान निहित हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (एनसीएम) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (एनसीएमईआई) (यथा संशोधित 2006 और 2010 में) को संसद द्वारा पारित अधिनियमों के तहत लागू किया गया है।

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे:

- मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की स्कीम (एसपीक्यूईएम);
- निजी सहायताप्राप्त/गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों की अवसंरचना विकास के लिए स्कीम (आईडीएमआई);
- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए);
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी);
- मदरसों/मक़तबों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना का विस्तार;
- साक्षर भारत;
- जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस);
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए);
- राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद् (एनसीपीयूएल) का सुदृढ़ीकरण;
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) की स्थापना;
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) की स्थापना;
- अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान;
- बालिका छात्रावास की योजना; तथा
- मॉडल स्कूलों की स्थापना।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. *अल्पसंख्यकों का शैक्षिक विकास.* http://mhrd.gov.in/hi/educational-development-minorities-hindi से लिया गया है।

(ख) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जैसे:

- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति;
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;
- मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति;
- नया सवेरा (नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएँ);
- विज्ञान विषय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए नये घटक (कोचिंग योजनाएँ);
- नई उड़ान— यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा संचालित आरंभिक परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सहयोग;
- पढ़ो परदेश— विदेश में पढ़ाई के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी;
- मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति(एमएएनएफ);
- मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ);
- अल्पसंख्यक साइबर ग्राम (डिजिटल साक्षरता);
- सीखो और कमाओ (लर्न एंड अर्न)— अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल;
- पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजना (उस्ताद-USTTAD);
- नई मंज़िल— इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से रियायती ऋण;
- हमारी धरोहर— अल्पसंख्यकों की समृद्ध धरोहर और संस्कृति को संरक्षित करना;
- नई रोशनी— अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक योजना।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई और प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के अधीन कवर की गई योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के ब्यौरे.*

http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Schemes%20for%20welfare%20of%20minorities.pdf से लिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 11वीं और 12वीं योजना के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निम्नलिखित योजनाएँ लागू कर रहा है –

i) तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उर्दू माध्यम के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्र;

ii) चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों और एक मानित विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना;

iii) अरबी और फारसी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सैटेलाइट परिसर की स्थापना;

iv) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो परिसरों की स्थापना;

v) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत मॉडल स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), बी.एड. कॉलेजों और पॉलिटैक्निकों की स्थापना;

vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2009 से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत, यूजीसी देश में विश्वविद्यालय/कॉलेज संस्थान और गैर-संस्थानों में एम. फिल./पीएच.डी. अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों से चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की अन्य योजनाएँ जिनसे अल्पसंख्यकों को लाभ हो सकें –

vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कोचिंग;

viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट/सेट/स्लेट के लिए कोचिंग;

ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएँ; तथा

x) अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अकादमियों के लिए कोचिंग योजना।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. पत्र सूचना कार्यालय. (मार्च 2015). *अल्पसंख्यकों की शिक्षा.* http://pib.gov.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx से लिया गया है।

प्र.18 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन से संवैधानिक प्रावधान करते हैं ?

उत्तर संविधान में देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए कई सुरक्षा उपायों को अपनाया गया है। इन अधिकारों में से कुछ अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के लिए हैं। ये अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में निहित हैं:

- अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।
- अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन लोक नियोजन और विशेष वर्गों के लिए रोज़गार के लिए प्रावधान बनाने तथा सेवा में नियुक्ति और पदोन्नति के समान अवसर को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 26 लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के तहत धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए अधिकार सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार की लिए करों को चुकाने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 347 सरकारी प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 350 शिकायत के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 350क शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए भाषायी अल्पसंख्यक समूहों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश देता है।

UNDER PUBLICATION

✤ अनुच्छेद 350ख भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार. *Constitutional Rights and Safeguards Provided to the Minorities in India*. http://ncm.nic.in/constitutional_provisions.html से लिया गया है।

प्र.19 भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है ?

उत्तर अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इसमें कहा गया है कि:

1. राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा।
2. किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या संबद्ध स्थिति के आधार पर निम्नवत् से वंचित नहीं किया जाएगा –
   क. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश; या
   ख. राज्य निधि से पूर्ण या आंशिक रूप से बनाए गए या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग।

UNDER PUBLICATION

प्र.20 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए गए हैं ?

उत्तर अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार-प्रसार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जो कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन आती है। प्रत्येक धार्मिक संस्थाओं या किसी भी वर्ग को इन परिस्थितियों में निम्नलिखित अधिकार होंगे –

(क) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं को स्थापित करना और उनका रख-रखाव;

(ख) धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंध करना;

(ग) चल-अचल संपत्ति का स्वामित्त्व और अधिग्रहण करना; तथा

(घ) ऐसी संपत्ति की कानून के अनुसार देख-भाल करना।

प्र.21 भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है ?

उत्तर अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि:

1. भारत के क्षेत्राधिकार या उसके किसी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिनकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार है।
2. किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य की निधि से सहायताप्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर प्रवेश पाने से मना नहीं किया जाएगा।

https://www.india.gov.in/hi/

प्र.22 भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और उनके संचालन का अधिकार देता है ?

उत्तर अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। इसे 'शिक्षा के अधिकार का चार्टर' (शासन पत्र) भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि:

1. सभी अल्पसंख्यक, चाहे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसके संचालन का अधिकार होगा। [खंड (1) में संदर्भित है कि किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित किसी एक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाने के लिए राज्य सुनिश्चित करेगा कि उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उक्त कानून के तहत नियत राशि या निर्धारित राशि इस प्रकार होगी कि यह उस खंड के तहत गारंटीशुदा अधिकार को न तो प्रतिबंधित करेगा और न ही अभिनिषेध (अवैध घोषित करना) करेगा]। [संविधान द्वारा प्रदत्त (चौवालिसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978, धारा 4 (20-06-1979 से प्रभावी)]।
2. राज्य शैक्षणिक संस्थान अनुदान प्रदान करने में किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, भारत का संविधान.
https://www.india.gov.in/hi/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text से लिया गया है।

प्र.23 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कौन-से विभिन्न अधिनियम लागू किए गए हैं ?

उत्तर भारत सरकार नीचे सूचीबद्ध विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याण का समर्थन करती है:

- दरगाह ख्वाज़ा साहिब अधिनियम, 1955;
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992;
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था (एनसीएमईआई) आयोग अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित 2006 और 2010); तथा
- वक्फ़ अधिनियम, 1995: वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013।

http://www.minorityaffairs.gov.in/hi

UNDER PUBLICATION

प्र.24 शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत अल्पसंख्यकों के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं ?

उत्तर: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम को 2012 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों में बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी निहित नहीं है जो मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू किया जा सकता है। संशोधन में प्रतिस्थापित विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) एक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित विद्यालयों के साथ ही साथ अन्य सभी सहायताप्राप्त विद्यालयों में सलाहकारी कार्य का निष्पादन करेगी, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. शिक्षा का अधिकार
http://mhrd.gov.in/hi/rte-hindi से लिया गया है।

प्र.25 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के क्या कार्य हैं ?

उत्तर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (1) के अनुसार आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करना आवश्यक है –

(क) संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन;

(ख) संविधान में प्रदत्त और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों की कार्यप्रणाली की निगरानी;

(ग) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफ़ारिशें करना;

(घ) अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित रखने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के विषय में विशेष शिकायतों पर विचार करना और इन मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों (अधिकारियों) के समक्ष उठाना;

(ङ) अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना तथा भेदभाव मिटाने के उपायों की सिफ़ारिश करना;

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित मुद्दों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण करना;

(छ) किसी भी अल्पसंख्यक के संबंध मे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए उचित उपायों का सुझाव देना;

(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले पर और विशेष रूप से उनके द्वारा कठिनाइयों का सामना करने पर केंद्र सरकार के लिए समय-समय पर रिपोर्टिंग और विशेष रिपोर्ट तैयार करना; तथा

(झ) कोई भी अन्य विषय, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इसे करने के लिए भेजा जा सकता है।

UNDER PUBLICATION

@ http://ncm.nic.in/index.html

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (रा.अ.आ.) अधिनियम,
Chapter III, Functions of the Commission.
http://www.ncm.nic.in/ncm_hindi/NCM_Act.html#c3
से लिया गया है।

प्र.26 राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के संपर्क पते क्या हैं ?

उत्तर राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया *संलग्नक III* देखें।

प्र.27 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) की भूमिका और कार्य क्या हैं ?

उत्तर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 की सं. 2), जिसका संशोधन हुआ एनसीएमईआई (संशोधित) अधिनियम, 2009 के रूप में और एनसीएमईआई (संशोधित) अधिनियम, 2010, (पृष्ठ सं. 9-10) के अनुसार, एनसीएमईआई की भूमिकाएँ और कार्य इस प्रकार हैं –

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित पूछे गए किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर छानबीन, *स्वतः संज्ञान* लेते हुए अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकारों से उन्हें वंचित रखने या इनके अधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में शिकायतें तथा विश्वविद्यालय की संबद्धता से संबंधित किसी विवाद और उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार के पास निष्कर्ष की रिपोर्ट करना;

(ग) अदालत के समक्ष और अदालत की अनुपस्थिति में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखने या उल्लंघन की किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करना;

(घ) संविधान के द्वारा या तहत या उस समय के लिए लागू किसी कानून के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रदान किए गए सुरक्षा साधनों की समीक्षा करना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफ़ारिश करना,

(ङ) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद के संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे तथा स्वरूप को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के उपाय निर्दिष्ट करना;

(च) एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी संस्थान के दर्जे से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेना और उसके दर्जे को इसी प्रकार घोषित करना,

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार के पास सिफ़ारिशें करना; और

(ज) ऐसे अन्य सभी कार्य और गतिविधियाँ करना जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य, प्रासंगिक या प्रेरक हो सकते हैं।

UNDER PUBLICATION

@ http://ncmei.gov.in/index.aspx?langid=2

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004. http://ncmei.gov.in/WriteReadData/LINKS/The%20Gazett%20of%20India5a1d4e713-dd9d-45bc-b31f-ec5ede465c19.pdf से लिया गया है।

प्र.28 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं ?

उत्तर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इस उद्देश्य के साथ 30 सितंबर 1994 को सम्मिलित किया गया था कि एनएमडीएफसी अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों, विशेषकर व्यावसायिक समूह एवं महिलाओं, में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एनएमडीएफसी द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के उन पात्र लाभार्थियों को स्वरोज़गार गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर वित्त प्रदान किया जाता है जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 81,000 प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों में ₹ 1,03,000 प्रतिवर्ष है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो "क्रीमी लेयर" का मापदंड अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अपनाया गया है, उसी को ध्यान में रखकर एक विशेष पहल के रूप में सितंबर 2014 से ₹ 6 लाख प्रतिवर्ष की एक नई वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता लागू की गई है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, भारत सरकार. प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न. http://www.nmdfc.org//admnis/admin/showimg.aspx?ID=1030 से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.29 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) क्या है ?

उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) का गठन किया गया है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं के नामित अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित प्रशासक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के पदधारी शामिल हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक निगरानी समिति (एनएमसीएमई) के पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक 5 मार्च 2012 को नई दिल्ली में हुई थी। इसमें एनएमसीएमई की एक

स्थायी समिति और पाँच उपसमितियों के गठन का निर्णय लिया गया था। ये उपसमितियाँ हैं:

1. अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन;
2. अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक आवश्यकता का मानचित्रण— क्षेत्र एवं जिलावार;
3. अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास;
4. बालिकाओं की शिक्षा;
5. उर्दू भाषा का उन्नयन और अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान के माध्यम से अल्पसंख्यकों में सहजता को बढ़ाना।

प्र.30 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) की स्थायी समिति के उद्देश्य क्या हैं ?

उत्तर स्थायी समिति और इसकी उपसमिति के उद्देश्य हैं:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अल्पसंख्यक संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी;
- यदि आवश्यक हो, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए संशोधनों का सुझाव देना;
- पिछली समितियों की रिपोर्टों का अध्ययन करना, जो अल्पसंख्यक शिक्षा और कल्याण के मुद्दों पर बनाई गई हैं तथा इन समितियों की सिफ़ारिशों/निष्कर्षों के कार्यान्वयन के उपायों पर सुझाव देना;
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अल्पसंख्यकों संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए एक निगरानी क्रियाविधि की स्थापना पर समिति को सुझाव देना; और
- अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित कोई अन्य मुद्दे, जिन्हें स्थायी समिति, सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) के ध्यान में लाना चाहती है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. पत्र सूचना कार्यालय. (2016). *National Monitoring Committee for Minorities Education.* http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=144923 से लिया गया है।

प्र.31 अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों को कैसे संबोधित किया जा सकता है ?

उत्तर अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा से संबंधित मुद्दे जैसे कि प्रवेश, छात्रवृत्ति, अधिकारों

UNDER PUBLICATION

के उल्लंघन अथवा भेदभाव जैसे मामलों के लिए निम्नलिखित कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है:

- संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी);
- ब्लॉक (प्रखंड) स्तर पर शिक्षा अधिकारी;
- जिला शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी;
- राज्य शिक्षा विभाग/शिक्षा निदेशालय;
- राज्य अल्पसंख्यक आयोग;
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय;
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय;
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई); तथा
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)।

प्र.32 सच्चर समिति का गठन कब और क्यों किया गया ?

उत्तर सरकार के हस्तक्षेप के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत में मुसलमान समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 9 मार्च 2005 को सच्चर समिति का गठन किया गया। इस रिपोर्ट को 17 नवंबर 2006 को प्रस्तुत किया गया जिसमें 76 सिफ़ारिशें की गईं।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, सच्चर समिति की रिपोर्ट (जुलाई 2016). *सच्चर समिति की अनुशंसाओं का कियान्वयन.*
http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/ImplementationSCR.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.33 सच्चर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा कौन से क्षेत्र तय किए गए ?

उत्तर सच्चर समिति की रिपोर्ट में 76 सिफ़ारिशों की सूची में से केंद्र सरकार ने 72 सिफ़ारिशों को स्वीकार किया। इनमें से तीन सिफ़ारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और एक सिफ़ारिश को लंबित रख दिया गया था। सरकार ने 72 सिफ़ारिशों के संबंध में 43 निर्णय लिए हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है। कुछ सिफ़ारिशों को अनुवर्ती (बाद में होने वाली) कार्रवाई के लिए एक साथ रखा गया। सरकार द्वारा सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार

के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दी गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है। सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय इन प्रमुख क्षेत्रों के तहत समूहित किए गए हैं – (क) शिक्षा, (ख) कौशल विकास, (ग) ऋण तक पहुँच, (घ) विशेष विकास प्रयास, (ङ) सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपाय, (च) वक्फ़ और (छ) विविध।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,पत्र सूचना कार्यालय. (फरवरी 2014).*Implementation of the Recommendations of Sachar Committee.*
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=104086 से लिया गया है।

प्र.34 मुसलमानों की शिक्षा के सुधार के संबंध में सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर सच्चर समिति को विशेष रूप से भारत में मुसलमान समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

1. निम्नलिखित छात्रवृत्ति और कोचिंग (अनुशिक्षण) योजनाओं का शुभारंभ:
   - स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए एक मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना;
   - कक्षा 1 से 10 तक मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
   - कक्षा 11 से पीएच.डी. तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;
   - निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना।
2. एक बड़ी मुसलमान बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में आवासीय कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) खोलने को प्राथमिकता दी गई।
3. समग्र साक्षरता दर और विशेष रूप से मुसलमान महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार करने के लिए ऐसे जिले, जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, में एक विशेष साक्षरता अभियान आयोजित किया गया।
4. मुसलमान जनसंख्या की बहुलता वाले 77 ब्लॉकों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण

UNDER PUBLICATION

प्रदान करने के लिए ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन (बाइट्स) की स्थापना की गई।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Frequently Asked Questions (FAQ) in respect of Programmes, Schemes and Initiatives for Minorities*.
http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/FAQ_Ministry.pdf से लिया गया है।

प्र.35 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन से संस्थान/संगठन करते हैं ?

उत्तर संस्थान इस प्रकार हैं –

- **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी)** की योजना जुलाई 2004 में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शुरू की गई है। उन शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (प्रखंडों) में स्कूल खोले गए जहाँ जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत (46.13%) से नीचे है।
- मदरसों में शिक्षा का सुधार करने के लिए **मदरसा शिक्षा बोर्ड** बनाए गए हैं ।
- **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद् (एनसीपीयूएल)** के कार्यक्रम अब देश के विभिन्न भागों/राज्यों में उपलब्ध हैं जिनमें कंप्यूटर अनुप्रयोग में एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, व्यापार लेखा और बहुभाषी डीटीपी (सीएबीए एमडीटीपी), उर्दू भाषा में एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अरबी भाषा में एकवर्षीय सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम और प्रयोजनमूलक अरबी में दोवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- **जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)**, देश के 88 मुसलमान बहुल जिलों में से 33 में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों द्वारा सहायताप्राप्त और गैर-सहायताप्राप्त विद्यालयों की स्थापना की गई है।
- **ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन (बाइट्स)** 196 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **एनसीईआरटी** अल्पसंख्यकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त

UNDER PUBLICATION

करने के लिए शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)** अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत सारी योजनाओं को प्रायोजित, संचालित और लागू करता है।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग**
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग**
- **मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान** (एमएईएफ), जो 1989 में स्थापित हुआ था, का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हित के लिए शैक्षणिक योजनाओं को बनाना और लागू करना।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (जुलाई 2013). *Major Initiatives for Educational Advancement of Minorities*. http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/MajorInitiative_minority_0.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.36 अल्पसंख्यकों की शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की क्या भूमिका है ?

उत्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) अपनी संघटक इकाइयों, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईई), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में तथा अल्पसंख्यक द्वारा अपने क्षेत्रों में चलाए जाने वाले विद्यालयों में कार्यरत मास्टर-प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन तथा अनुसंधान कार्य करती है। यह अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राज्य के पदाधिकारियों को विशेषज्ञ राय देने और मार्गदर्शन का कार्य करती है। विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डीईजीएसएन) में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के माध्यम से एनसीईआरटी अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के विषय में विभिन्न मंत्रालयों और आयोग के निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करती है और अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का सुझाव देती है। यह अल्पसंख्यक द्वारा अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए चलाए जाने वाले संस्थानों के साथ मेलजोल और सहयोग को प्रोत्साहन देने में भी मदद करती है।

एनसीईआरटी द्वारा कुछ प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, प्रमुख कार्यक्रमों में से कुछ हैं:

- अल्पसंख्यक बच्चों के माता-पिता के बीच शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की जानकारी, प्रारंभिक स्तर पर बौद्ध, नव बौद्ध/बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर का अध्ययन
- झारखंड में मदरसा शिक्षा तंत्र के पाठ्यचर्या संप्रेषण पर एक अध्ययन; ओडिशा के ईसाई अल्पसंख्यक विद्यालयों का एक अन्वेषी अध्ययन; ओडिशा में प्राथमिक स्तर पर मदरसों के संचालन का अध्ययन; भारत की अल्पसंख्यक शिक्षा की चुनौतियों पर पोस्टर प्रतियोगिता (शिक्षा विभाग की विद्यार्थी परिषद् की शिक्षाशास्त्री गतिविधियाँ); और अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जागरूकता कार्यक्रम।

प्र.37 अल्पसंख्यकों के लिए सेवाकालीन और सेवापूर्व प्रशिक्षण हेतु अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान/संगठन कौन से हैं?

उत्तर विभिन्न संस्थान/संगठन हैं:

- उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), अलीगढ़; जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली; और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू), हैदराबाद में अकादमियाँ स्थापित की गई हैं।
- एनसीईआरटी द्वारा मदरसा सहित अल्पसंख्यक संस्थानों के अध्यापकों का प्रशिक्षण।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ब्लॉकों में ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन (बाइट्स) हैं। पूरे देश में 122 बाइट्स मंजूर किए गए, जिनमें से 25 बाइट्स दिसंबर, 2015 से कार्य कर रहे हैं।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. *Teacher Education*. http://www.teindia.nic.in/Default.aspx से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.38 क्या मक़तब/मदरसा की शैक्षणिक पात्रता (अर्हता) किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के समतुल्य है ?

उत्तर जी हाँ, विभिन्न शैक्षणिक अर्हताओं जैसे अदीब माहिर (हाई स्कूल) और अदीब कामिल (इंटरमीडिएट), मोअल्लिम आदि को विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ व राज्य विश्वविद्यालयों के साथ जैसे– जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद आदि द्वारा मान्यता प्राप्त है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मदरसों की सूची उपलब्ध कराई है (अधिक जानकारी के लिए कृपया *संलग्नक IV* देखें) ।

प्र.39 मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण क्या है ?

उत्तर अल्पसंख्यकों पर उच्चाधिकार पैनल (1980) तथा शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित अल्पसंख्यक शिक्षा समूह (1990) पाठ्यचर्या में प्रासंगिक बदलावों का समर्थन करता है (आसमा और शाज़ली, 2015) । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), कार्रवाई कार्यक्रम (1992) तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम (2006) में पारंपरिक मदरसों के आधुनिकीकरण का सुझाव दिया गया है । मदरसों के आधुनिकीकरण की एक योजना 1994 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर आरंभ की गई थी जिसमें स्वैच्छिक आधार पर अतिरिक्त विषयों के रूप में अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित और हिंदी को आरंभ करने का सुझाव दिया गया था। मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना का प्रस्ताव 2004 में नवगठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा समिति (एनएमसीएमई) द्वारा 1986 में विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सरकारी प्रयासों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए औपचारिक रूप दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम, 2006 के अनुवर्तन के रूप में इस योजना में मदरसों में गुणात्मक सुधार के लिए मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एसपीक्यूईएम) आरंभ की गई थी । अल्पसंख्यक संस्थानों में मदरसों के आधुनिकीकरण के अवसंरचना विकास के लिए स्कीम (आईडीएमआई) जिम्मेदार है । यह सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की तरफ एक कदम है ।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

प्रश्न संख्या 117 Asma, S., & Shazli, T. (Feb, 2015). *Role of Madarsa Education in Empowerment of Muslims in India.* IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS). http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol20-issue2/Version-5/B020251015.pdf से लिया गया है।

प्र.40 बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) क्या है ?

उत्तर बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की कल्पना सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर अनुवर्ती (अनुसरण) कार्रवाई हेतु विशेष पहल के रूप में की गई। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जो अल्पसंख्यक बहुलता वाले 90 जिलों (एमसीडी) में आरंभ की गई है। यह एक क्षेत्र विकास प्रयास है जो सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत संरचना के सृजन द्वारा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास संबंधी सरोकारों को सुलझाता है और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करता है।

प्र.41 बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना में विभिन्न लक्षित क्षेत्रों से चयनित प्राथमिकताओं में कुछ विशिष्ट प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ शामिल होनी चाहिए जैसे प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और आय संबंधी गतिविधियाँ। इसी प्रकार जिले के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना हेतु समग्र विकास किया जाएगा। इसमें जिलों के सामाजिक-आर्थिक मानकों को सुधारने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजना, महिलाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करना आदि के लिए सामाजिक प्रेरणा और संवेदना जागृत करने के अभियान आयोजित करने की परियोजना शामिल हो सकती है।"

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना बनाते समय अल्पसंख्यकों के कौशल प्रशिक्षण सहित स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना में परियोजनाओं का मूल्यांकन, अनुशंसा तथा अनुमोदन किया गया है। जबकि अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, योजना बनाते समय जिले के स्थान पर अल्पसंख्यक बहुलता वाले ब्लॉक/कस्बे को इकाई माना जाएगा। इस कार्यक्रम में 710 ब्लॉकों (प्रखंडों) और 66 कस्बों को चुना गया है, जो 12वीं

UNDER PUBLICATION

योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 196 जिलों में आते हैं। अब आगे अल्पसंख्यक बहुलता वाले गाँवों के समूहों (जहाँ कम-से-कम 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या है) पर इस कार्यक्रम को लागू करने का विचार किया जाएगा।

संदर्भ

प्र. 40 व प्र. 41 पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश.*

http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/MsDP_Guidelines_hi.pdf से लिया गया है।

प्र.42 अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की क्या योजनाएँ हैं ?

उत्तर अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में शामिल प्रयास हैं:

(क) मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एसपीक्यूईएम);

(ख) अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम (आईडीएमआई);

(ग) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण और संचालन की योजना;

(घ) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए);

(ङ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत मॉडल (आदर्श) स्कूल;

(च) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस);

(छ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में महिला छात्रावास और पॉलिटैक्निक;

(ज) ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन (बाइट्स);

(झ) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति; तथा

(ञ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रदान करना और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संबद्धता के लिए मानदंडों को आसान बनाना।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. *अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार*

http://mhrd.gov.in/educational-development-minorities से लिया गया है।

प्र.43 अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से कैसे फायदा हो सकता है ?

उत्तर वित्तीय सेवा विभाग ने अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों की सूची सभी अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध कराई है, और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर ऋण का निष्पक्ष और न्यायोचित हिस्सा मिलना चाहिए। जून 2007 में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार द्वारा सलाह दी गई कि वे अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) की राशि का 15 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक समुदाय ऋण (एमसीएल) के लिए बढ़ाएँ। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को दिया जाने वाला ऋण भारत में अध्ययन के लिए ₹ 10 लाख और विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ₹ 20 लाख तक है जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के 15 प्रतिशत के प्रावधान का लाभ मिलता है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. पत्र सूचना कार्यालय. (मार्च 2013). *Education to Minorities*. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116484 से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.44 अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर निम्नलिखित द्वारा सामाजिक वर्ग के अंतर को कम करने के लिए किए जा रहे प्रमुख प्रयासों के साथ यह अल्पसंख्यक समुदाय सर्व शिक्षा अभियान के केंद्र में है:

- प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ था और 2013-14 में समाप्त हो गया;
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में 75 प्रतिशत स्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों से संबंधित बालिकाओं के लिए आरक्षित किया गया है;
- स्थानीय विशेष कार्यनीतियों के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए नवाचार निधि के रूप में ₹ 50 लाख का प्रावधान किया गया है;
- मुसलमान बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं;

- ऐसे मदरसों/मक़तबों, जो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों/राज्य मदरसा बोर्डों से संबद्ध हैं और राज्य के पाठ्यक्रम को आरंभ करने के इच्छुक हैं, वे पाठ्यपुस्तकों के अनुदान के लिए, सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए, विद्यालय अनुदान और शिक्षक अनुदान के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत पात्र हैं;
- विद्यालय के लिए सुरक्षित यात्रा हेतु यथासंभव समुदाय से महिला अनुरक्षक उपलब्ध करवाना।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. सर्व शिक्षा अभियान. *FAQs on Sarva Shiksha Abhiyan.* http://pib.nic.in/archieve/flagship/ssa_faq.pdf से लिया गया है।

प्र.45 अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा का क्या प्रावधान है ?

उत्तर: माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास निर्मित करने और चलाने की योजना 2008-09 में आरंभ की गई थी। 2009-10 से इस योजना को देश के 3479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में 100 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास स्थापित करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजना है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली 14 से 18 वर्ष की आयु समूह की छात्राएँ इस योजना का लक्ष्य समूह हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) से पास होने वाली छात्राओं को छात्रावासों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। छात्रावास में प्रवेश पाने वाली कम-से-कम 50 प्रतिशत छात्राएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों से होंगी।

@ **http://mhrd.gov.in/hi/school-education**

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. *माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण और संचालन.* http://mhrd.gov.in/hi/girls_hostel-hindi से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.46 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विद्यालय में नहीं पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का लक्ष्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में कभी भी विद्यालय में न जा पाने वाली बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) खोलना है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बड़ी संख्या में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है।

प्र.47 अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वव्यापक बनाने और सुधार करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इस योजना में निम्नवत् की परिकल्पना की गई:

1. देश में माध्यमिक विद्यालयों में उच्च क्षमता पैदा करने और विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना और संसाधनों का प्रावधान करना;
2. मौजूदा माध्यमिक विद्यालय प्रणाली में कमियों को सुधारने के लिए प्रावधान;
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों से संबंधित बालिकाओं, ग्रामीण बच्चों और विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान; तथा
4. हाशिये पर के वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों (ईबीएम) के लिए संपूर्णतावादी अभियुक्ति रूपरेखा। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण करने और संचालन का प्रावधान है।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग. *Annual Report 2008-09*. http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/AR2008-09.pdf से लिया गया है।

प्र.48 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) नीति के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर इस नीति में 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों

को शामिल किया जाता है और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच की प्रतिबद्धता है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) की न्यायोचित उपलब्धता की भी संकल्पना की गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि आईसीडीएस परियोजनाओं तथा आँगनवाड़ी केंद्रों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों की पर्याप्त जनसंख्या वाले ब्लॉकों/गाँवों में स्थित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ इन समुदायों को भी न्यायोचित रूप से उपलब्ध हो।

प्र.49 क्या आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अल्पसंख्यक बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हैं ?

उत्तर जी हाँ, अधिकांश आँगनवाड़ी केंद्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए बातचीत के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा आवश्यक होती है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थानीय भाषा का प्रयोग करने में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है।

प्र.50 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कहाँ से मान्यता/संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विभिन्न सरकारी निकायों से मान्यता/संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं जैसे –

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी);
- विश्वविद्यालय;
- केंद्रीय और राज्यों स्तर पर विद्यालय शिक्षा के विभिन्न बोर्ड;
- मदरसा शिक्षा बोर्ड;
- राज्य शिक्षा निदेशालय;
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई);
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई);
- भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई);
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड्स ऑफ ओपन स्कूलिंग); तथा
- भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई)।

प्र.51 क्या अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी पसंद की भाषा में पढ़ाने का अधिकार है ?

उत्तर जी हाँ, अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी पसंद की भाषा में पढ़ाने का अधिकार है।

UNDER PUBLICATION

प्र.52 केंद्र/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के तहत अल्पसंख्यकों के लिए कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में मॉडल डिग्री महाविद्यालयों, महिला छात्रवासों और पॉलिटैक्निकों की स्थापना शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है जैसे समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना, विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कोचिंग योजनाएँ।

अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के केंद्रों को मल्लापुरम (केरल), मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) और किशनगंज (बिहार) में स्थापित किया गया है। तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों - अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली; और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमईएनयूयू), हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए अकादमी की स्थापित किया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ये विभिन्न योजनाएँ हैं: मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ, मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियाँ, नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएँ, यूपीएससी/एसएससी और राज्य लोकसेवा आयोग (पीएससी) आदि द्वारा संचालित आरंभिक परीक्षा को पास कर चुके अल्पसंख्यक विद्यार्थी को सहयोग, पढ़ो परदेश - विदेश में अध्ययन करने के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी और मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा 11वीं और 12 वीं कक्षाओं की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

पत्र सूचना कार्यालय. भारत सरकार. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (30 जुलाई 2014). http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=107627 से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

योजनाएँ

UNDER PUBLICATION

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

प्र.53 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना क्या है ?

उत्तर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य माता-पिता को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, जो भारत में सरकारी/मान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों/संस्थानों में पढ़ रहे हैं।

प्र.54 इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता क्या है ?

उत्तर भरण-पोषण के रूप में कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क, शिक्षा-शुल्क और भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा उनके माता-पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो। इसमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ बालिकाओं के लिए अलग रखी जाएगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएँ उपलब्ध नहीं हुई तो बची हुई छात्रवृत्तियाँ पात्र छात्रों को प्रदान की जाएगी।

प्र.55 इस योजना के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं –

1. एक परिवार के दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
2. पाठ्यक्रम/शिक्षा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक साधन/डिजिटल माध्यम से विद्यालय/संस्थान के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
3. भरण-पोषण भत्ता इलेक्ट्रॉनिक साधन/डिजिटल माध्यम से विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

UNDER PUBLICATION

@ http://scholarships.gov.in/

छात्रवृत्ति का विवरण

कक्षा	प्रवेश शुल्क		शिक्षा शुल्क		एक शैक्षिक वर्ष के महीनों के लिए प्रति माह भरण-पोषण भत्ता	
	छात्रावासी	दिवाछात्र	छात्रावासी	दिवाछात्र	छात्रावासी	दिवाछात्र
1 से 5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	₹ 100 प्रति माह
6 से 10	₹ 500 प्रति वर्ष तक वास्तविक खर्च	₹ 500 प्रति वर्ष तक वास्तविक खर्च	₹ 350 प्रति वर्ष वास्तविक खर्च	₹ 350 प्रति वर्ष वास्तविक खर्च	₹ 600 प्रति वर्ष तक वास्तविक खर्च	₹ 100 प्रति वर्ष तक वास्तविक खर्च

* *छात्रावासियों में वे विद्यार्थी शामिल हैं जो संबंधित विद्यालय/संस्थान या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए छात्रावास में रहते हैं।*

UNDER PUBLICATION

प्र.56 कोई विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता है ?

उत्तर छात्रवृत्ति आवेदन प्रपत्र संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र अपेक्षित प्रमाणपत्रों/प्रमाणनों के साथ अनुबंधित अवधि के भीतर भेजा जाना चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्र वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। http://scholarships.gov.in

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' की केंद्र प्रायोजित योजना* .

http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Pre-matric%20Scheme%20in%20Hindi%20%282017%29.pdf से लिया गया है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

प्र.57 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना क्या है ?

उत्तर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 11 से (व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित) पीएच.डी. स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है, ताकि उन्हें उच्चतर शिक्षा और रोज़गार के बेहतर अवसर मिल सकें। यह छात्रवृत्ति एलएलबी, एमबीए, एमसीए, बीई और एमबीबीएस के लिए उपलब्ध नहीं है। छात्रवृत्ति पाने के लिए पाठ्यक्रमों की सूची वेबसाइट पर दी गई है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' की केंद्रीय प्रायोजित योजना.* http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files Post-matric%20Scheme%20in%20Hindi%20%282017%29.pdf से लिया गया है।

List of courses covered under Post-Matric Scholarship Scheme. http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Revised-Courses-PMS.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.58 इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता क्या है ?

उत्तर इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें हैं:

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हैं और उनके माता-पिता/अभिभावकों की कुल आय सभी स्रोतों से दो लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। इसमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ बालिकाओं के लिए निर्धारित की जाएगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएँ उपलब्ध नहीं होंगी तो शेष निर्धारित छात्रवृत्तियाँ पात्र छात्रों को प्रदान की जाएगी। चूँकि अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या नियत है, इसलिए चयन के लिए प्राथमिकता बनाई गई है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के विद्यार्थियों को अल्पतम आय होने पर परिवार की वार्षिक वित्तीय आय के संदर्भ में आरोही क्रम प्राथमिकता दी जाएगी।
2. यदि कोई विद्यार्थी पिछली अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। प्रमाणपत्र/डिग्री (एम.फिल, डॉक्टरेट आदि) लेने में लगने वाली सामान्य अवधि से अधिक समय के लिए छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

3. छात्रवृत्ति एक परिवार के दो से अधिक विद्यार्थियों को नहीं दी जाएगी।

प्र.59 इस योजना के तहत क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत प्रावधान हैं:

1. यह छात्रवृत्ति भारत में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित सरकारी अथवा निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय और ऐसे सरकारी आवासीय संस्थानों तथा पात्र निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 11 और 12 के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा जो कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) से संबद्ध हैं।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रवृत्तियों का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।
3. छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी। जबकि भरण-पोषण भत्ता एक शैक्षिक वर्ष में अधिकाधिक 10 माह के लिए दिया जाएगा।

UNDER PUBLICATION

छात्रवृत्ति का विवरण

कक्षा और पाठ्यक्रम	भरण और शिक्षा शुल्क		एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह के लिए भरण-पोषण भत्ता
	छात्रावासी और दिवाछात्र	छात्रावासी	दिवाछात्र
कक्षा 11 और 12	प्रति वर्ष ₹ 7000 तक वास्तविक खर्च	₹ 380 प्रति माह	₹ 230 प्रति माह
कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम	प्रति वर्ष ₹ 10,000 तक वास्तविक खर्च	₹ 380 प्रति माह	₹ 230 प्रति माह
स्नातक और स्नातकोत्तर (तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम)	प्रति वर्ष ₹ 3,000 तक वास्तविक खर्च	₹ 570 प्रति माह	₹ 300 प्रति माह

एम.फिल और पीएच.डी. (उन शोधकर्ताओं को जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई भी अध्येतावृत्ति नहीं दी गई है)	शून्य	₹ 1200 प्रति माह	₹ 550 प्रति माह

**छात्रावासियों में वे विद्यार्थी शामिल हैं जो संबंधित विद्यालय/संस्थान में नहीं रहते लेकिन शहर/कस्बे में सशुल्क अतिथि के तौर पर या किराये के आवास में रहते हैं जो कि विद्यार्थी के माता-पिता का आवास नहीं है।*

प्र.60 इस योजना के लिए विद्यार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं ?

उत्तर इस योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

Post-Matric Scholarship

http://scholarships.gov.in/ से लिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल. Scheme of 'Post-Matric Scholarship' for Students belonging to the Minority Communities. http://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/MOMA_post_Guidelinesfor2015-16.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

प्र.61 मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना क्या है ?

उत्तर मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकें। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए ही उपलब्ध है और इसे केवल राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की एजेंसी के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है।

प्र.62 इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता क्या है ?

उत्तर इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता इस प्रकार है:

(i) मान्यताप्राप्त संस्थान से स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें पाठ्यक्रम शुल्क और भरण-पोषण भत्ता चुने हुए छात्रों के बैंक खातों में सीधा डाला/स्थानांतरण किया जाएगा।

(ii) लाभार्थी/लाभार्थी के अभिभावक या माता-पिता की सभी स्रोतों से आय ₹ 2.50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) जो विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगी/होंगे।

(iv) जो विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा के बिना तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती/लेते हैं, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगी/होंगे। हालाँकि, इन विद्यार्थियों के उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए। विद्यार्थियों का चयन केवल पात्रता के आधार पर होगा।

(v) आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति जारी रखने की प्रक्रिया पिछले वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर निर्भर करेगी।

UNDER PUBLICATION

प्र.63 इस योजना के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत प्रावधान हैं:

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ निर्धारित हैं, जिन्हें उस समुदाय की छात्राओं के पात्र नहीं होने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उसी समुदाय के छात्रों को दिया जा सकता है। इसमें 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति पात्र छात्राओं के लिए आधार है, सीमा नहीं।

(ii) यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति के तय लक्ष्य का उपयोग नहीं हो पाता है तो इसे पात्रता के अनुसार अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में उसी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच राष्ट्रीय अनुपात के अनुसार वितरित किया जाएगा।

(iii) एक विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी को अपने अध्ययन के स्थान को विचार में नहीं लेते हुए उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोटे के तहत छात्रवृत्ति पाने की पात्रता होगी।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वहाँ की अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर छात्रवृत्तियों की संख्या तय की गई है। संघ राज्य क्षेत्र/राज्यवार आवंटनों के लिए, सूचीबद्ध संस्थानों के आवेदन पहले विचार में लिए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् *http://www.minorityaffairs.gov.in/hi* पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय सहायता के प्रकार	छात्रावासी के लिए दर	दिवाछात्र के लिए दर
1.	भरण-पोषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए)	₹ 10,000/- प्रतिवर्ष (₹ 1000/- प्रति माह)	₹ 5,000/- प्रतिवर्ष (₹ 500/- प्रति माह)
2.	पाठ्यक्रम शुल्क*	₹ 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो।	₹ 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो।
कुल		**₹ 30,000/-**	**₹ 25,000/-**

**सूचीबद्ध संस्थानों के लिए ही पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।*

UNDER PUBLICATION

प्र.64 कोई विद्यार्थी इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है ?

उत्तर यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इसमें सभी विद्यार्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। नई और नवीकरण छात्रवृत्ति दोनों के लिए स्कैन और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची निम्न प्रकार है:

(क) विद्यार्थी का फोटो;

(ख) संस्थान का सत्यापन फॉर्म;

(ग) विद्यार्थी द्वारा आय प्रमाणपत्र की स्वयं की गई घोषणा;

(घ) विद्यार्थी द्वारा समुदाय की स्वयं की गई घोषणा;

(ङ) नए आवेदन के मामले में: फॉर्म में भरी गई पिछली शैक्षिक मार्कशीट (अंक-सूची) का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र;

(च) नवीकरण के मामले में फॉर्म में: भरी गई पिछले वर्ष की मार्कशीट का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र;

(छ) वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष की शुल्क रसीद;

(ज) विद्यार्थी के नाम पर बैंक खाते का साक्ष्य;

(झ) आधार कार्ड (वैकल्पिक); तथा

(ञ) आवासीय प्रमाणपत्र।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति की योजना.* http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Merit-Cum-Means%20Scheme%20%28English%29.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)

प्र.65 मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) के तहत कौन सी योजनाएं हैं ?

उत्तर मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) की स्थापना संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। एमएईएफ के मुख्य उद्देश्य खास तौर पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों तथा सामान्य तौर पर दुर्बल वर्गों के लाभ के लिए शैक्षणिक स्कीमों और योजनाओं का गठन और कार्यान्वयन करना तथा आवासीय विद्यालय, खास तौर पर बालिकाओं के लिए स्थापित करना है, ताकि उन्हें आधुनिक शिक्षा दी जा सके, और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अनुसंधान एवं अन्य प्रयासों को प्रोत्साहन देना है। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) के तहत योजनाएं हैं:

(क) अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान योजना; तथा

(ग) ख्वाजा गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना।

UNDER PUBLICATION

प्र.66 अल्पसंख्यक से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान और पात्रता क्या है ?

उत्तर यह छात्रवृत्ति विद्यालय/महाविद्यालय शुल्क के भुगतान, पाठ्यक्रम की पुस्तकों की खरीद, पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक स्टेशनरी/उपकरण की खरीद और बोर्डिंग/लॉजिंग प्रभारों के भुगतान पर व्यय के लिए दी जाती है। इसमें प्रतिवर्ष ₹ 12,000/- की कुल राशि दो किस्तों में दी जाएगी। पात्रता की शर्तें इस प्रकार है:

(i) केवल अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्राओं के लिए;

(ii) उन्हें किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (दसवीं कक्षा) में प्राप्त कुल अंक 55 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए;

(iii) सभी स्रोतों को मिलाकर छात्राओं के परिवार की आय प्रति वर्ष ₹ 1 लाख से कम होनी चाहिए; तथा

(iv) उनका ग्याहरवीं कक्षा में प्रवेश का प्रमाण होना चाहिए।

प्र.67 कोई विद्यार्थी इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है ?

उत्तर इस योजना का कार्यान्वयन मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है । इस योजना में आवेदन करने के लिए वेबसाइट

www.maef.nic.in से निर्धारित आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान. Begum Hazrat Mahal National Scholarship portal.
https://scholarship-maef.org/guidline.jsp से लिया गया है।

प्र.68 मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) सहायता अनुदान योजना के क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थित संस्थानों को वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए दी जाती है:

- शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए विद्यालयों का निर्माण/विस्तार;
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थानों में विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला, उपकरणों/फर्नीचर की खरीद के लिए;
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/आई.टी.आई./पॉलिटैक्निक का निर्माण/विस्तार/उपकरणों की खरीद;
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थानों में छात्रावास भवन का निर्माण; तथा
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए डी.एड./बी.एड. कॉलेजों का निर्माण/विस्तार।

प्र.69 इस योजना के लिए क्या पात्रता हैं ?

उत्तर इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:

- सोसायटी/ट्रस्ट पिछले 3 वर्षों से सोसायटी अधिनियम/भारतीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- सोसायटी/ट्रस्ट मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) में पंजीकृत होना चाहिए।
- सोसायटी/ट्रस्ट (एनजीओ) NGO-DARPAN, जो कि नीति आयोग का पोर्टल है, पर पंजीकृत होना चाहिए।
- किसी एक इकाई को दी गई वित्तीय सहायता ₹ 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और केवल एक समय में एक ही उद्देश्य के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन को प्रति वर्ष 1 मई से 30 सितंबर तक सभी दस्तावेज़ों के साथ

UNDER PUBLICATION

ऑनलाइन एमएईएफ में जमा किया जा सकता है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, सहायता अनुदान योजना.Maulana Azad Education Foundation, Grant-in-Aid Scheme. http://www.maef.nic.in/Index.aspx से लिया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान. सहायता अनुदान योजना. http://www.maef.nic.in/writereaddata/uploadedfile/GIAHindi.pdf से लिया गया है।

प्र.70 ख्वाजा गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना क्या है ?

उत्तर अल्पसंख्यकों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ कौशल प्रशिक्षण मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) का एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों को सार्थक और टिकाऊ आजीविका के लिए विकल्प अर्थात् मजदूरी रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करके सरकार का 'स्कीलिंग इंडिया' का उद्देश्य प्राप्त करना है। जो एजेंसी इच्छुक और पात्रता की शर्तें पूरी करती है वह ख्वाजा गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना के लिए मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान में आवेदन भेज सकती हैं।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान. *Khwaja Gharib Nawaj Skill Development Training for Minorities*. http://maef.nic.in/CategoryContent.aspx?Id=359 से लिया गया है।

एम.फिल. और पीएच.डी. अध्ययनरत अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

प्र.71 एम.फिल. और पीएच.डी. अध्ययनरत अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर इस अध्येतावृत्ति का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में एकीकृत पंचवर्षीय अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करना है । यह अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्येतावृत्ति के पैटर्न पर नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल. और पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसंधान अध्येताओं को दी जाएगी । इस अध्येतावृत्ति को पाने वाले इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) अध्येता के नाम से जाने जाएंगे । यह अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम की धारा 2 (एफ) और धारा 3 के तहत सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रदान की जायेगी जो यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त है और इसे अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए यूजीसी के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

प्र.72 इस अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता क्या है?

उत्तर इस अध्येतावृत्ति को पाने के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) विद्यार्थी किसी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होनी/होना चाहिए।

(ii) अल्पसंख्यक विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावकों की आय सीमा ₹ 2.50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) विद्यार्थी को यूजीसी के विज्ञापन के अनुसार, अध्येतावृत्ति के प्रावधान के अधीन किसी विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए उस विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में नियमित और पूर्णकालिक एम. फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना और पंजीकरण कराना होगा।

(iv) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थीओ को अध्येतावृत्ति के लिए विचाराधीन होने पर उन्हें अन्य किसी स्रोत से, केंद्र या राज्य सरकार या यूजीसी जैसे अन्य निकाय से उसी अध्ययन के लिए कोई अन्य अध्येतावृत्ति पाने के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

(v) एम.फिल./पीएच.डी. के लिए इस अध्येतावृत्ति को पाने के लिए एनईटी/एसएलईटी परीक्षा का पास करना जरूरी नहीं होगा।

UNDER PUBLICATION

(vi) कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्कोर सहित एम.फिल. पूर्व तथा पीएच.डी. पूर्व चरण पर क्रमश: यूजीसी मानक लागू होंगे।

प्र.73 इस योजना के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर यूजीसी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगी। इस योजना के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं :

(i) प्रतिवर्ष अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या 756 होगी। अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने पर उस वर्ष के दौरान प्रदान नहीं की गई अध्येतावृत्तियाँ अगले शैक्षणिक सत्र में अग्रेषित की जाएँगी।

(ii) इसमें से 30 प्रतिशत अध्येतावृत्तियाँ छात्राओं के लिए होंगी। यदि महिला अभ्यर्थियों की कमी होती है तो ये अध्येतावृत्तियाँ उसी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जा सकती हैं।

(iii) यदि अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध अध्येतावृत्तियों से अधिक होती है तो यूजीसी द्वारा अर्हक स्नातकोत्तर परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी।

(iv) भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षण यूजीसी के मानकों के अनुसार और समस्तरीय रूप में किया जाएगा।

(v) अध्येताओं को योजना के तहत ज्ञान के सभी क्षेत्रों से चुना जाएगा।

(vi) राष्ट्रीय स्तर पर अध्येताओं का समुदायवार चयन यथानुपात जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।

(vii) अनुसंधान अध्येताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चयन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएगे।

(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी समुदाय की अप्रयुक्त अध्येतावृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर उसी समुदाय के पात्र अध्येताओं को स्थानांतरित की जाएगी। इसके बाद अप्रयुक्त अध्येतावृत्ति, यदि कोई है तो, अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र अध्येताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पात्रता के आधार पर स्थानांतरित की जाएगी।

प्र.74 कोई अध्येता इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है ?

उत्तर इस अध्येतावृत्ति के लिए कोई भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में आवेदन कर सकता है।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Scheme of Maulana Azad National Fellowship for Minority Students.* http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Guideline-MANF_0.pdf से लिया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Guidelines for XII Plan Maulana Azad National Fellowship for Minority Students (MANF) 2012 - 17.* http://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/MaulanaAzadNF_REVISED.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं (3 श्रेणियों में)

(क) नया सवेरा

प्र.75 नया सवेरा योजना क्या है ?

उत्तर यह एक नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को चुने गए कोचिंग संस्थानों में विशेष कोचिंग के माध्यम से निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती है:

(क) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, जैसे— इंजीनियरिंग, विधि, मेडिकल, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि की प्रवेश परीक्षा हेतु और राष्ट्रीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए भाषा/अभिक्षमता परीक्षण के लिए पात्रता (अर्हक) परीक्षाएँ।

(ख) समूह क, ख और ग की सेवाओं तथा केंद्र और राज्य सरकार के तहत अन्य समकक्ष पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), बैंक, बीमा कंपनियों और स्वायत्त निकायों में भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षाएँ।

(ग) निजी क्षेत्र, जैसे— एयरलाइंस, जहाजरानी, मछली पालन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), व्यापार प्रक्रम आउटसोर्सिंग (बीपीओ) तथा अन्य आईटी समर्थित सेवाएँ, आतिथ्य, भ्रमण और यात्रा, समुद्र व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण, रिटेल, बिक्री और विपणन, जैव प्रौद्योगिकी तथा अन्य नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों में नौकरियों के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण।

(घ) योजना के तहत कोचिंग/प्रशिक्षण के लाभ एक छात्र द्वारा केवल एक बार उठाया जा सकता है, चाहे वह एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कितनी बार भी पात्र पाया जाए।

UNDER PUBLICATION

प्र.76 विद्यार्थियों और संस्थानों के लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं ?

उत्तर (1) अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए पात्रता के मानदंड

(क) अभ्यर्थियों ने वांछित पाठ्यक्रमों/भर्ती प्रक्रियाओं में दाखिले के लिए निर्धारित अर्हक परीक्षा में अपेक्षित अंक प्रतिशत अर्जित किए हो।

(ख) केवल उन परिवारों के अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योजना के तहत पात्र माना जाएगा जिनकी आय सभी स्रोतों से ₹ 3 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है।

(2) संस्थानों/संगठनों के लिए पात्रता के मानदंड

(क) संस्थानों में अपेक्षित संख्या में पात्र संकाय के सदस्य वेतन पत्रक या अंशकालिक आधार पर होने चाहिए।

(ख) संस्थान में कोचिंग चलाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना; जैसे— परिसर, पुस्तकालय, अपेक्षित उपकरण आदि मौजूद होने चाहिए।

(ग) संस्थान को प्रासंगिक पाठ्यक्रम में कोचिंग प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए।

(घ) संस्थान में वांछित पाठ्यक्रम/भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 15 प्रतिशत की सफलता दर होनी चाहिए।

प्र.77 इस योजना के लिए कोई संस्थान कैसे आवेदन कर सकता है ?

उत्तर सरकारी क्षेत्र के संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सीधे अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। वहीं निजी क्षेत्र के संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से अपने प्रस्ताव को जमा कराना चाहिए।

प्र.78 संस्थानों को वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है?

उत्तर एक संस्थान को वित्तीय सहायता निम्नलिखित तरीके से वितरित की जाती है:

(क) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा परियोजना का निरीक्षण किया जाएगा और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को विशिष्ट सिफ़ारिशों के साथ प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

(ख) योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन/गहन जाँच पड़ताल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में की जाएगी।

(ग) चुने हुए कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थानों को सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(घ) विद्यार्थियों के भरण-पोषण के लिए मंत्रालय द्वारा वृत्तिका (स्टाइपेंड) दी जाएगी। इसकी पहली किस्त चुने हुए विद्यार्थियों की सूची संस्थान की ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में देने तथा संस्थान की वेबसाइट पर डालने के बाद प्रदान की जाएगी। दूसरी किस्त कोचिंग/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर ही जारी की जाएगी।

UNDER PUBLICATION

(ख) विज्ञान स्ट्रीम के मेधावी छात्रों के लिए अनन्य रूप से नया घटक

प्र.79 क्या अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा और इंजीनियरिंग के व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग की सुविधा लेने के कोई प्रावधान हैं ?

उत्तर चुने हुए संस्थानों में कक्षा 11वीं के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए कोचिंग की सुविधा का प्रावधान है। हर वर्ष प्रति विद्यार्थी इन्हें सभी व्ययों सहित शैक्षिक, कोचिंग, बोर्डिंग

और लॉजिंग सुविधाओं के लिए एक लाख रुपये दिए जाते हैं।

http://minorityaffairs.gov.in/schemesperformance/free-coaching-and-allied-scheme-minority-communities-students

(ग) नई उड़ान

प्र.80 नई उड़ान योजना क्या है ?

उत्तर इस योजना में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित आरंभिक परीक्षाएँ पास करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है और यह समूह क और ख (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) पदों की परीक्षा के लिए भी दी जाती है। इसका प्रयोजन उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों में सिविल सेवाओं में नियुक्ति की प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है। इससे सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

प्र.81 इस योजना के लिए पात्र कौन हैं ?

उत्तर इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें हैं:

1. अभ्यर्थी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों का होना चाहिए और उसे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) या कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास की होनी चाहिए।
2. अभ्यर्थी के परिवार की कुल आय सभी स्रोतों से ₹ 4.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (सभी संसाधनों से कुल आय 12वीं योजना और इसके बाद की अवधि के लिए भी क्रीमी लेयर छूट/सीमा में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनीय होगी)।
3. वित्तीय सहायता का लाभ अभ्यर्थी द्वारा केवल एक बार उठाया जा सकता है।
4. अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अन्य समान योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र नहीं होगी/होगा। यदि प्रत्याशी अन्य योजनाओं को अपनाने का निर्णय लेती/लेता है तो उसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के दावे को छोड़ना होगा और यदि इसका लाभ उठाया गया है तो राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करनी होगी।
5. अभ्यर्थी को शपथपत्र देना होगा कि वह अन्य किसी स्रोत से इस प्रकार के लाभ नहीं उठा रही/रहा है।

प्र.82 इस योजना के तहत क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर प्रतिवर्ष पूरे देश में अधिकतम 800 प्रत्याशियों को बजट आवंटन के समाप्त होने तक

UNDER PUBLICATION

पात्रता मानदंड पूरे करने पर योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन लाभों का वास्तविक वितरण विभिन्न अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के बीच इस प्रकार होगा मुसलमान : 568; ईसाई : 96; सिख : 80; बौद्ध : 32; पारसी : 7; और जैन : 17।

वित्तीय सहायता की दर राजपत्रित पदों के लिए अधिकतम ₹ 50,000/- और अराजपत्रित पदों के लिए ₹ 25,000/- होगी, जो केवल उन अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने समूह क और ख लोक सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास की है।

प्र.83 इस योजना के लिए अभ्यर्थी आवेदन कैसे कर सकता है ?

उत्तर प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी इस योजना के तहत इस प्रयोजन के लिए विकसित प्रपत्र पर मंत्रालय में आवेदन कर सकते हैं।

@ http://www.seekhoaurkamao-moma.gov.in/

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

क. नया सवेरा

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Free Coaching and Allied Scheme for the Candidates/Students belonging to Minority Communities (with effect from 2013-14).* http://socialjusticehry.gov.in/schemes/Free%20Coaching%20And%20Allied%20Scheme.pdf से लिया गया है।

ख. विज्ञान विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट नये घटक

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *पहलें एवं उपलब्धियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम*

http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Hindi-Booklet.pdf से लिया गया है।

ग. नई उड़ान

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Nai Udaan - Scheme for Support for Minority Students Clearing Prelims conducted by Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, State Public Service Commissions, etc.*

http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/guidelines-NaiUdaan.pdf से लिया गया है।

मौलाना आज़ाद सेहत योजना

प्र.84 मौलाना आज़ाद सेहत योजना क्या है ?

उत्तर मौलाना आज़ाद सेहत योजना में मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा वित्तीय सहायता पाने वाले संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को एक सेहत कार्ड जारी किया जाएगा । संस्थान द्वारा वर्ष में दो बार निवारक स्वास्थ्य जाँच के शिविर सरकारी या निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम (उपचर्या गृहों) द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। निवारक जाँच के सभी निष्कर्ष विद्यार्थी के सेहत कार्ड में डॉक्टर द्वारा भरे जाते हैं।

प्र.85 इस योजना के लिए कौन पात्र है ?

उत्तर इस योजना के तहत मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी पात्र हैं। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन छात्र जिन्हें गंभीर बीमारी है, उन्हें विशेष परिस्थिति में सरकारी या मान्यताप्राप्त अस्पतालों में इलाज कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्र.86 इस योजना के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत निम्न प्रावधान है,

(i) मौलाना आज़ाद सेहत योजना में मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय सहायता पाने वाले संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को एक सेहत कार्ड जारी किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा वर्ष में दो बार निवारक स्वास्थ्य जाँच के शिविर आयोजित कराए जाएंगे।

(iii) गंभीर बीमारी होने पर विद्यार्थियों को आगे इलाज के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(iv) संस्थानों द्वारा डिस्पेंसरी/स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की स्थापना की जाएगी और एक आवासीय चिकित्सक (रेज़िडेंट डॉक्टर) नियुक्त किया जाएगा।

(v) विद्यार्थियों की मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संविदा के आधार पर एक नर्स या परिचारक (अटेंडेंट) को तैनात किया जा सकता है।

(vi) जहाँ पर्याप्त संख्या में आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है या विद्यार्थियों की संख्या तीन हज़ार से कम है, वहाँ मोबाइल डिस्पेंसरी प्रदान की जा सकती है।

प्र.87 इस योजना के लिए विद्यार्थी आवेदन कैसे कर सकते हैं ?

उत्तर विद्यार्थी सेहत कार्ड के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध

UNDER PUBLICATION

निर्धारित प्रपत्र से आवेदन कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों का इलाज कराने हेतु वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी चिकित्सा सहायता पाने के लिए संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/संस्थान में इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र से आवेदन कर सकते हैं।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Maulana Azad Sehat Scheme for Institutions Financially-Aided by Maulana Azad Education Foundation (MAEF).* http://maef.nic.in/writereaddata/uploadedfile/Sehat_Scheme.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

नई रोशनी योजना

प्र.88 नई रोशनी योजना क्या है ?

उत्तर नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए एक नेतृत्व विकास योजना है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ-साथ उसी गाँव/स्थान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी शामिल किया गया है। इनको सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर बनाने के लिए ज्ञान, आवश्यकता-आधारित साधनों और तकनीकों के माध्यम से सरकारी प्रणाली में पारस्परिक संबंध, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ सभी स्तरों पर ताल मेल बनाने की जरूरत है। इस योजना को पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं और सरकारी संस्थानों की सहायता से चलाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल; जैसे— महिलाओं के लिए नेतृत्व, शैक्षणिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य और सफाई, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक तथा व्यवहारगत बदलावों के लिए समर्थन शामिल हैं।

प्र.89 कौन से संगठन इस योजना के पात्र हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत निम्नलिखित संगठन पात्र हैं। वित्तीय सहायता के आवेदन के लिए:

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएँ।
- उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट।
- भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत निजी लिमिटेड लाभनिरपेक्ष कंपनियाँ।
- यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/उच्चतर अधिगम संस्थान।
- पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केंद्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशिक्षण संस्थान।
- महिला सहकारी संस्थाएँ/स्वयं सहायता समूह जो विधिवत् पंजीकृत हैं।

प्र.90 इस योजना के लिए कोई भी संगठन कैसे आवेदन कर सकता है ?

उत्तर इस योजना के लिए कोई भी संगठन निम्न प्रकार से आवेदन कर सकता है:

- संगठन द्वारा न्यूनतम पाँच बैच (जत्था) में ग्राम/स्थानीय स्तर के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से प्रस्ताव भेजे जाएँगे।

UNDER PUBLICATION

- ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली में पूरा प्रस्ताव जमा करने के बाद इसका एक प्रिंट लिया जाए और जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के पास निर्धारित प्रारूप में उनकी सिफ़ारिशों के लिए प्रस्तुत किया जाए, जो ओएएमएस के होम पेज "फॉर्म्स एंड गाइडलाइंस" के तहत उपलब्ध है।
- जिला प्रशासन को ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली के होम पेज पर दिए गए निर्दिष्ट फॉरमैट के अनुसार परिचय विवरण निश्चित करने होंगे।
- जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट संबंधित संगठन की सिफ़ारिशों की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे। संगठन ओएएमएस के माध्यम से सिफ़ारिशों की एक स्कैन प्रति जमा करेगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
- अर्हक संगठनों की परियोजनाओं को मंत्रालय में मंजूरी समिति के विचार और अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। वित्तीय सहायता उन्हीं संगठनों को दी जायेगी जिनकी परियोजना के प्रस्ताव नियमानुसार होंगे और जो इस योजना के उद्देश्य को पूरा करेंगे।

@ http://www.nairoshni-moma.gov.in/

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. (अगस्त 2015). नई रोशनी: *अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना*. नई दिल्ली: http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Nai_Roshni_Leadership_Guidelines_0.pdf से लिया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. नई रोशनी: *The Scheme for Leadership Development of Minority Women*. http://www.minorityaffairs.gov.in/schemesperformance/nai-roshni-scheme-leadership-development-minority-women से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

सीखो और कमाओ योजना

प्र.91 सीखो और कमाओ योजना क्या है ?

उत्तर मॉड्यूलर रोज़गार योग्य कौशलों (एमईएस) के लिए यह एक कौशल विकास कार्यक्रम की योजना है जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें एक विशेष राज्य या क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों में प्रचलित प्रमुख पारंपरिक कौशल अर्थात् कढ़ाई, चिकनकारी, ज़रदोज़ी, पैचवर्क, रत्न और आभूषण, बुनाई, लकड़ी के कार्य और चमड़ा पाठ्यक्रम शामिल हैं।

प्र.92 इस योजना के तहत सिविल सोसायटी/गैर-सरकारी संगठन के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत सिविल सोसायटी/गैर-सरकारी संगठन के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

(i) कोई भी पंजीकृत सिविल संस्था/गैर-सरकारी संगठन जो विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों के सामाजिक कल्याण, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के कार्य में संलिप्त है।

(ii) योजना के लिए आवेदन करते समय संगठन न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व से स्थापित बाज़ार संबंधों सहित पंजीकृत होना चाहिए और इसका नियोजन रिकॉर्ड होना चाहिए।

(iii) कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के क्षेत्रों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(iv) मंत्रालय से सहायता के अभाव में संगठन की वित्तीय व्यवहार्यता तथा संगठन की सीमित अवधि तक कार्य करने की वित्तीय क्षमता।

(v) अच्छी प्रतिष्ठा और साख।

(vi) अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं को प्रेरित करने की क्षमता।

(vii) आवंटित संसाधनों एवं सृजित परिसंपत्तियों के पूर्णरूप से उपयोग हेतु अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग। प्रशिक्षु/लाभार्थी के लिए पात्रता की शर्तें हैं –

- प्रशिक्षु अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- प्रशिक्षु की आयु 14-35 वर्ष होनी चाहिए।
- प्रशिक्षु की न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता कम से कम कक्षा पाँच होनी चाहिए।
- यदि इस योजना के तहत निर्दिष्ट वर्गों के लिए आरक्षित स्थान खाली रह जाते हैं तो इन खाली स्थानों को अनारक्षित माना जाये।

UNDER PUBLICATION

प्र.93 इस योजना के तहत क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं:

(i) यह योजना देश में किसी भी जगह लागू की जा सकती है, किंतु उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार के साथ सुनिश्चित बाज़ार संबंधों वाले अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कौशलों के विकास का है। जबकि विभिन्न आधुनिक व्यापार के प्रशिक्षण में रोज़गार की संभाव्यता, उस क्षेत्र में, होने पर ही इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम को पहचान किए हुए अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों/ब्लॉकों/कस्बों/ग्राम-समूहों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

(ii) कार्यान्वयन करने वाले संगठन को व्यापार का प्रस्ताव देने से पहले उस क्षेत्र विशेष में बाज़ार की संभाव्यता का सर्वेक्षण करना चाहिए।

(iii) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को औद्योगिक ईकाई के साथ "जॉब फेयर" और "जॉब काउंसलिंग" जैसे कार्यक्रम जागरूकता लाने के लिए आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि कौशल विकास प्रक्रिया में निर्धन और कमजोर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(iv) पीआईए को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सहसंबंध स्थापित करने की ज़रूरत होगी जो उन व्यापारों के लिए अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा प्रदान कर सकें, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के मॉड्यूल एनसीवीटी/रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

(v) पीआईए को नियोजन सेवाओं के साथ भी संबंध बनाने चाहिए। प्रशिक्षण पाने के बाद स्वरोज़गार के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए संगठन को आसान लघु ऋण की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी), बैंक, आदि के माध्यम से करनी चाहिए।

(vi) इसमें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित होने चाहिए।

(vii) उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समग्र नियोजन प्रतिशत में 75 प्रतिशत की गारंटी देते हैं। इसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत नियोजन संगठित क्षेत्र में होने चाहिए।

(viii) इस योजना के दो घटक होंगे:

(क) आधुनिक व्यापार के लिए नियोजन से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) पारंपरिक व्यापारों/शिल्पों/कलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

UNDER PUBLICATION

(ix) प्रशिक्षुओं को आधार संख्या (या अन्य कोई सरकारी मान्यताप्राप्त दस्तावेज़) यदि उपलब्ध है, या अन्य कोई सरकारी मान्यताप्राप्त पहचान संख्या के साथ जोड़ा जाएगा।

(x) संस्थान नामांकित बाहरी प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधाएँ सुनिश्चित करेगा (पुरुष और महिला प्रशिक्षुओं के लिए अलग-अलग) । प्रशिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों के प्रशिक्षुओं के लिए बनाए जाएँगे। जबकि अंतर-समुदाय सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों के आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों के विकलांग व्यक्तियों के लिए 2.5 प्रतिशत आरक्षण होगा।

(xi) पीआईए में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ अर्थात् पर्याप्त संख्या में कक्षाएँ, प्रदर्शन प्रयोगशाला और शौचालय (महिलाओं के लिए अलग शौचालय) आदि होने चाहिए।

प्र.94 इस योजना के लिए संगठन कैसे आवेदन कर सकते हैं ?

उत्तर इस योजना के लिए संगठन इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं:

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पीआईए को नामिकाबद्ध करने (नामों की सूची में शमिल करने) के लिए संगठनों/संस्थानों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाएगी।

(ii) इन ईओआई की जाँच मंत्रालय की छानबीन समिति द्वारा नामिकाबद्ध करने हेतु की जाएगी। नामिकाबद्ध करने की यह सूची संपूर्ण बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लागू होगी। जबकि मंत्रालय को किसी सूचना के बिना किसी भी चरण पर यह नामिकाबद्ध सूची रद्द करने का अधिकार है।

(iii) मंत्रालय द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रति वित्तीय वर्ष पीआईए को नामिकाबद्ध किया जा सकता है।

(iv) मंत्रालय द्वारा तकनीकी समर्थन एजेंसी के माध्यम से संगठनों के विवरणों का सत्यापन कराया जा सकता है।

(v) नामिकाबद्ध संगठनों के प्रस्ताव पर मंजूरी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. Seekho aur Kamao (Learn & Earn)"- The Scheme for Skill Development of Minorities. http://www.minorityaffairs.gov.in/schemesperformance/seekho-aur-kamaolearn-earn-scheme-skill-development-minorities से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

पढ़ो परदेश योजना

प्र.95 पढ़ो परदेश योजना क्या है ?

उत्तर पढ़ो परदेश योजना अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों द्वारा विदेश में अध्ययन करने के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी (अनुदान) की योजना है।

प्र.96 इस योजना के लिए कौन पात्र है ?

उत्तर इस योजना के लिए वे अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थी पात्र हैं जो उच्चतर अध्ययन अर्थात् स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएच.डी. विदेश से करना चाहते हैं, बशर्ते:

(i) विद्यार्थी को स्नातकोत्तर डिप्लोमा, परास्नातक (मास्टर्स), एम. फिल. या पीएच. डी. स्तर के पाठ्यक्रम के लिए विदेश में स्थित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया होना चाहिए। उसकी संपूर्ण पारिवारिक आय प्रतिवर्ष ₹ 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक आय का अर्थ है अविवाहित विद्यार्थियों के मामले में माता-पिता की कुल आय और विवाहित विद्यार्थियों के मामले में पति या पत्नी की कुल आय।

(ii) विद्यार्थी को किसी निजी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और शहरी सहकारी बैंक आदि से ऋण लेना होगा। यह बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन का सदस्य होना चाहिए।

(iii) विद्यार्थी के पास अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का वैध प्रमाण होना चाहिए।

(iv) विद्यार्थी को ऋण देने वाले बैंकों को विद्यार्थी द्वारा यह सूचना दी जानी चाहिए कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पढ़ो परदेश नामक नई योजना शुरू की गई है जो कि विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी (अनुदान) देने की योजना है और वह इस विशेष योजना के तहत पात्र है। इसके बाद ऋण देने वाला बैंक विद्यार्थी की जानकारी कैनरा बैंक द्वारा आरंभ किए गए "पढ़ो परदेश" पोर्टल पर डालेगा। कैनरा बैंक इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। यह पोर्टल हर तिमाही में दो माह की अवधि के लिए खुला रहेगा।

(v) मंत्रालय को विद्यार्थी से सीधे तौर पर किसी भी दस्तावेज़ की अपेक्षा नहीं होगी। विद्यार्थियों को शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण देने वाले बैंक की अपेक्षा के अनुसार दस्तावेज़ जमा करने होंगे। मंत्रालय शैक्षणिक ऋण पर ऋण स्थगन की अवधि तक होने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा।

प्र.97 इस योजना के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर विद्यार्थियों को अपने ऋण दाता बैकों को समय-समय पर विदेश में अपने अध्ययन की

UNDER PUBLICATION

अवधि के दौरान आवधिक प्रगति रिपोर्ट/दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने पर विद्यार्थी को ऋण दाता बैंक तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में उनके रिकॉर्ड के लिए मार्कशीट (अंक-सूची) और प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करनी होती है। मंत्रालय इस योजना के तहत शैक्षणिक ऋण नहीं देता है। इस योजना में विद्यार्थी द्वारा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य बैंक से लिए गए शैक्षणिक ऋण पर ऋण अवधि अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि सहित पाठ्यक्रम पूर्ति के एक वर्ष बाद अथवा रोज़गार मिलने के छ: माह बाद तक, जो भी पहले हो, में जमा ब्याज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *"Padho Pardesh" Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies for the Students belonging to the Minority Communities*.

http://www.minorityaffairs.gov.in/schemesperformance/padho-pardesh-scheme-interest-subsidy-educational-loans-overseas-studies-students-belonging-minority से लिया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Frequently Asked Questions (FAQs) related to the Scheme of Padho Pardesh*.

http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/FAQs-Students_0.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

नई मंज़िल योजना

प्र.98 नयी मंज़िल योजना क्या है ?

उत्तर नयी मंज़िल योजना में अन्य की तुलना में *'दीनी'* मदरसा से पास होने वाले विद्यार्थियों में शैक्षणिक और कौशल विकास अंतराल को पाटने के लिए सेतु पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है।

प्र.99 इस योजना के तहत कौन पात्र है ?

उत्तर *'दीनी'* मदरसों के अल्पसंख्यक युवा जिनके पास औपचारिक विद्यालय प्रमाणपत्र नहीं हैं, वह इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं।

प्र.100 इस योजना के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर नई मंज़िल योजना के तहत सरकार केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगी बल्कि कौशल प्रशिक्षण के साथ विद्यार्थियों को सशक्त भी बनाएगी जो उनको नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी। मूल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चार वर्गों में प्रस्तावित किया जायेगा, जैसे निर्माण, इंजीनियरिंग, सेवा और सॉफ्ट स्किल्स।

प्र.101 इस योजना के लिए विद्यार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं ?

उत्तर इस योजना को मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा लागू किया जाएगा। निम्नलिखित कुछ प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों के लिए सेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए चयनित किया गया है:

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू);
- जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई);
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस);
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू); और
- मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू)।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *नई मंजिल के दिशा-निर्देश: अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल*. *http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Guidelines-NaiManzil-hi.pdf* से लिया गया है।

पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण (उस्ताद-USTTAD) योजना

प्र.102 पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण (उस्ताद) योजना क्या है ?

उत्तर इस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यकों की परंपरागत पैतृक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण के लिए कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन करना है।

प्र.103 इस योजना के लिए कौन पात्र है ?

उत्तर शिल्पकार, बुनकर और कारीगर जो पहले से ही पारंपरिक पैतृक काम में लगे हुए हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।

प्र.104 इस योजना के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत, परंपरागत कारीगरों को आधुनिक बाज़ारों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण;

(ii) अनुसंधान और विकास के लिए उस्ताद (यूएसटीटीएडी) अध्येतावृत्ति;

(iii) पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का संग्रह करने के लिए शिल्प संग्रहालय के लिए सहायता; तथा

(iv) निर्यात संवर्द्धन परिषदों के माध्यम से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के बीच संबंधों की स्थापना के द्वारा विपणन के लिए अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों की सहायता।

UNDER PUBLICATION

प्र.105 इस योजना के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कैसे कर सकता है ?

उत्तर कोई भी व्यक्ति आवेदन की प्रक्रिया के विस्तृत उल्लेख के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकता है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. (सितंबर 2015). *उस्ताद: विकास हेतु कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण.* http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Usttad-hindi.pdf से लिया गया है।

हमारी धरोहर योजना

प्र.106 हमारी धरोहर योजना क्या है ?

उत्तर इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में संरक्षित रखना है। भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और समृद्ध विरासत के बारे में अच्छा ज्ञान होने से लोगों के बीच बेहतर समझ का विकास किया जा सकता है और सहनशीलता तथा सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। विरासत के संरक्षण के लिए चुने हुए हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

- मूर्ति संबंधी प्रदर्शनियों सहित प्रदर्शनियों का रख-रखाव करना;
- हस्तलिपि विधा आदि को समर्थन और बढ़ावा देना;
- साहित्य, दस्तावेज़, पांडुलिपियों आदि का संरक्षण;
- मौखिक परंपरा और कला रूपों का प्रलेखन;
- अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत के प्रलेखन और संरक्षण के लिए (संस्कृति मंत्रालय या उसके निकायों की योजनाओं के अंतर्गत समर्थित नहीं) नृजातीय संग्रहालयों को समर्थन;
- विरासत से संबंधित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सहायता;
- विरासत के संरक्षण और विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अध्येतावृत्ति; तथा
- अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और उसे प्रोत्साहन देने के कार्य को आगे बढ़ाने में व्यक्ति/संगठन को किसी अन्य प्रकार का समर्थन।

UNDER PUBLICATION

प्र.107 इस योजना के लिए कौन पात्र हैं ?

उत्तर **इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें हैं:**

(i) न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव होने पर मान्यताप्राप्त और पंजीकृत निकाय, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ (पीआईए) पात्र हैं;

(ii) राज्य पुरातत्व विभाग;

(iii) प्रतिष्ठित संगठन जैसे आगा खान हेरिटेज ट्रस्ट आदि;

(iv) प्रतिष्ठित पंजीकृत अल्पसंख्यक समुदाय संगठन, जिनके पास सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत कम-से-कम तीन वर्ष पंजीकृत और विरासत संवर्द्धन करने का कार्य अनुभव हो;

(v) न्यूनतम तीन वर्ष से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत अल्पसंख्यक समुदायों की पंजीकृत/मान्यताप्राप्त सांस्कृतिक संस्थाएँ और जिन्हें विरासत संवर्द्धन करने के कार्य का अनुभव हो;

(vi) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान जिन्हें विरासत संवर्द्धन करने का अनुभव और सुविधा हो; तथा

(vii) केंद्र/राज्य सरकारी संस्थान जिन्हें विरासत संवर्द्धन करने का अनुभव और सुविधा हो।

प्र.108 इस योजना के तहत कौन से प्रावधान हैं ?

उत्तर परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जायेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। समृद्ध विरासत, इसके प्रस्तुतीकरण, संवर्द्धन तथा विरासत की शिक्षा, लोकप्रियकरण और प्रकाशन आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए अध्येतावृत्ति, अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए भी सहायता दी जाएगी। अध्येतावृत्ति यूजीसी के वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं के प्रचलित वित्तीय मानकों के अनुसार दी जा सकती है।

प्र.109 इस योजना के लिए संगठन/संस्थान आवेदन कैसे कर सकते हैं ?

उत्तर इस योजना के लिए पात्र संगठन/संस्थानों का चयन करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा समाचार पत्रों और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट में विज्ञापन के माध्यम से संगठनों/संस्थानों से निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा उन विशेषज्ञ संगठनों को सीधे भी प्रायोजित किया जा सकता है जो निर्धारित प्रारूप में अपनी परियोजनाएँ जमा करते हैं, जो संबंधित क्षेत्रों में अपने अनुभव के लिए प्रतिष्ठित हैं या संवर्द्धन कार्य के लिए संस्कृति मंत्रालय के पैनल में हैं।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार.

Hamari Dharohar.

http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/HamariDharohar-SchemeGuidelines.pdf से लिया गया है।

डिजिटल साक्षरता के लिए साइबर ग्राम

प्र.110 साइबर ग्राम योजना पहल क्या है ?

उत्तर साइबर ग्राम योजना बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक कोशिश है जिसमें लक्ष्य समूह को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का ज्ञान प्रदान करने और उन्हें प्रतिदिन के कामों के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है।

प्र.111 लक्षित लाभार्थी/समूह कौन हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समूह से संबंधित कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों और बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र में रहने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं।

प्र.112 इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ?

उत्तर इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर पर कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करना और विद्यार्थियों को बुनियादी आईसीटी कौशल अर्जित करने में सक्षम बनाना है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Cybergram Yojana: Empowering the Minority Communities.* http://www.cybergramyojana.in/ से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

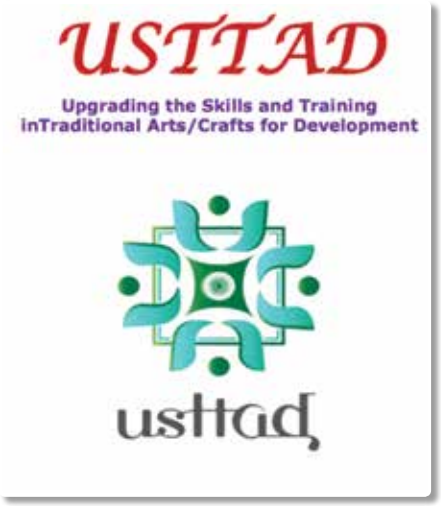

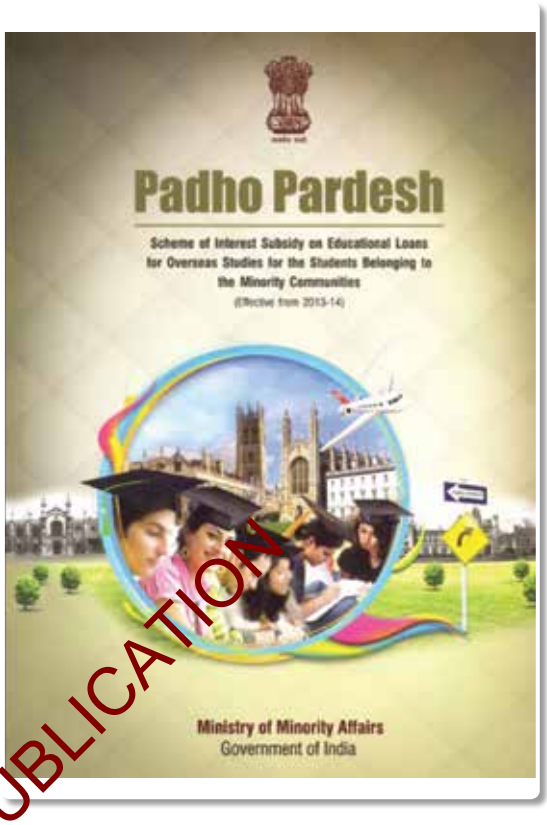

UNDER PUBLICATION

अन्य योजनाएँ

UNDER PUBLICATION

अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली अन्य योजनाएँ

प्र.113 साक्षर भारत योजना क्या है ?

उत्तर साक्षर भारत योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें 15 वर्ष और इससे अधिक उम्र की निरक्षर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा अन्य सुविधावंचित समूहों को प्रयोजनमूलक साक्षरता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम का लक्ष्य नव-साक्षरों को अपनी बुनियादी साक्षरता के आगे सीखना जारी रखने में भी सक्षम बनाना और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समकक्ष शिक्षा अर्जित कराना है। इस योजना में अल्पसंख्यक महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।
"साक्षर भारत", *Centrally Sponsored Scheme.*
http://mhrd.gov.in/hi/saakshar_bharat-hindi से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.114 जन शिक्षण संस्थान क्या है ?

उत्तर जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) की स्थापना देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न जिलों में साक्षरता अभियानों के लाभों को समेकित करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए की जा रही है। जन शिक्षण संस्थान के प्रचालन का क्षेत्र अब पूरा जिला है तथा इनके प्रचालन का क्षेत्र बड़ा होने से उम्मीद की जाती है कि ये नव-साक्षरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला स्तर की सहायक एजेंसियों के रूप में कार्य करें। जन शिक्षण संस्थान देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से 33 में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मौलाना आज़ाद तालीम-ए-बालिगान (वयस्क शिक्षा) पहल के तहत मुस्लिम बहुल जिलों में दस नए जन शिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।

@ http://jss.nic.in/

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग.
http://mhrd.gov.in/hi/jss-hindi से लिया गया है।

प्र.115 मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एसपीक्यूईएम) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की स्कीम (एसपीक्यूईएम) बनाई गई है ताकि मुसलमान बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धियों के राष्ट्रीय मानक अर्जित करने में सक्षम बनाया जा सके। मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के प्रावधान इस प्रकार हैं:

- विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि जैसे पाठ्यचर्या विषयों के शिक्षण के लिए मदरसों की क्षमताओं को मजबूत करना;
- प्रत्येक दो वर्ष में शिक्षकों को शिक्षण शास्त्र के नए व्यवहारों (परिपाटियों) में प्रशिक्षण देना;
- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर मदरसों में वार्षिक रख-रखाव की लागत के साथ विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रदान करना;
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किटों का प्रावधान;
- पुस्तकालयों और पुस्तक बैंकों को मजबूत करना और सभी स्तर के मदरसों में शिक्षण और अधिगम सामग्री प्रदान करना;
- इस संशोधित योजना की अनोखी विशेषता यह है कि इसमें औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के एक मान्यताप्राप्त केंद्र, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ मदरसों को जोड़ने पर बल दिया गया है। मदरसों से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के इस बदलाव से बच्चे कक्षा 5, 8, 10 और 12 के प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। वे उच्चतर अध्ययन भी कर सकेंगे। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि इन बच्चों को राष्ट्रीय शैक्षणिक व्यवस्था के समकक्ष गुणवत्ता मानकों की शिक्षा प्राप्त हो। इस योजना के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में पंजीकरण तथा परीक्षा शुल्क और प्रयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री को भी शामिल किया जाएगा; और
- इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मदरसों और एनआईओएस (NIOS) के संबंधों का विस्तार व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जाएगा ;

UNDER PUBLICATION

- इस योजना की निगरानी और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य मदरसा बोर्ड वित्त पोषित किए जाएंगे।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग.
मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एसपीक्यूईएम).
http://mhrd.gov.in/hi/edu_madrasas-hindi से लिया गया है।

प्र.116 अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम (आईडीएमआई) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की स्कीम का प्रचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निजी सहायताप्राप्त/गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों/संस्थानों की आधारभूत संरचना में वृद्धि के लिए किया जाता है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास की स्कीम के तहत किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

- अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास स्कीम में अल्पसंख्यक संस्थानों में विद्यालयों की आधारभूत संरचना को बढ़ाकर तथा मज़बूत करके अल्पसंख्यकों को शिक्षा में सुविधा देगी ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
- अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास स्कीम में पूरे देश को शामिल किया जाएगा। परंतु प्राथमिकता 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले जिलों, ब्लॉकों तथा कस्बों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थानों (निजी सहायताप्राप्त/गैर-सहायतप्राप्त विद्यालयों) को दी जाएगी।
- अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास स्कीम द्वारा बालिकाओं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और जो अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित हैं, जो की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास स्कीम द्वारा निजी सहायताप्राप्त/गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के आधारभूत संरचना विकास का वित्तपोषण 75 प्रतिशत की सीमा तक और प्रति संस्थान अधिकतम ₹ 50 लाख तक किया जाएगा ताकि मौजूदा विद्यालय की शैक्षणिक आधारभूत संरचना तथा भौतिक सुविधाओं को मजबूत बनाया जा सके। इसमें अतिरिक्त कक्षाएँ, विज्ञान/कंप्यूटर

UNDER PUBLICATION

प्रयोगशाला/कमरे, पुस्तकालय, शौचालय, पेय जल सुविधाएँ और बच्चों के लिए छात्रावास के भवन, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शामिल होंगे।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग.
अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम (आईडीएमआई).
http://mhrd.gov.in/hi/idmi-hindi से लिया गया है।

प्र.117 मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस-MANAS) योजना क्या है ?

उत्तर मानस (मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी) योजना का लक्ष्य अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रदान करना, अल्पसंख्यक जनसंख्या को उन कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगठनों के साथ संबंध बनाना है, जिन कौशलों की वर्तमान समय में माँग है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य स्वरोज़गार/मजदूरी रोज़गार के अवसरों के संदर्भ में स्वरोज़गार पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ इसके सभी प्रशिक्षुओं के लिए सार्थक तथा टिकाऊ आजीविका के विकल्प प्रदान करना है।

UNDER PUBLICATION

प्र.118 अल्पसंख्यक समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु उपलब्ध योजनाएँ क्या हैं ?

उत्तर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) मजदूरी और स्वरोज़गार के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण में मदद करता है। इस कार्यक्रम की अवधि 6 माह है और इसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए); जैसे बिहार में – बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना; आंध्र प्रदेश में – आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, हैदराबाद; उत्तर प्रदेश में – उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम, लखनऊ; और कर्नाटक में – कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम, कर्नाटक के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

अल्पसंख्यक समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु निम्न योजनाएं हैं:

- सीखो और कमाओ (लर्न एंड अर्न);
- पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजना (उस्ताद);
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस); तथा

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत) द्वारा 11 अक्तूबर 2014 को मानस (मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी) को स्थापित किया गया।

http://nmdfc.org/index.aspx?langid=2

प्र.119 नालंदा परियोजना क्या है ?

उत्तर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक प्रबंधित डिग्री महाविद्यालयों (एमएमडीसी) और उच्च शिक्षा संस्थानों के संकायों के विकास के लिए मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के तहत एक प्रायोगिक परियोजना– नालंदा परियोजना के नाम से है। यह योजना 3 मार्च 2014 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नोडल स्टाफ कॉलेज है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. पत्र सूचना कार्यालय. (जुलाई 2014). *Policy for Welfare of Minorities*. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=106804 से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

प्र.120 अल्पसंख्यक अधिकार पुरस्कार क्या है ?

उत्तर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन के लिए अल्पसंख्यक अधिकार पुरस्कार की स्थापना की गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के लिए प्रदान किया जाता है।

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. *Grants of Minority Rights Awards*. http://ncm.nic.in/Minority-Rights-Awards.html से लिया गया है।

प्र.121 प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं के मूल्यांकन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

उत्तर यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह उन अनुसंधान संगठनों को व्यावसायिक प्रभार प्रदान करती है जिनकी प्रयोजनपूर्ण संक्रियात्मक अनुसंधान/बाज़ार अनुसंधान/

क्रियानिष्ठ अनुसंधान करने में विशेषज्ञता है और जो इनके इच्छुक हैं। इस योजना का लक्ष्य अनुसंधान अध्ययनों, आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से विकास की कमियों के बारे में जानकारी जमा करने, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समवर्ती निगरानी, वार्षिक मीडिया योजना निर्माण और अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों तथा प्रयासों के बारे में जागरूकता लाने के लिए सूचना के प्रसार हेतु मल्टीमीडिया अभियान आयोजित करने, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों (एमएसडीपी) को व्यापक प्रचार देने तथा अल्पसंख्यकों के लिए संगत विषयों पर कार्यशालाओं/गोष्ठियों के लिए संगठनों को सहायता देने के माध्यम से अल्पसंख्यकों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर जानकारी उत्पन्न करना और डेटाबेस बनाना है।

प्र.122 इस योजना के लिए कौन-से संगठन पात्र हैं ?

उत्तर इस योजना के लिए पात्र संगठन इस प्रकार हैं:

(क) इस योजना के तहत संक्रियात्मक अनुसंधान/बाज़ार अनुसंधान/क्रियानिष्ठ अनुसंधान, निगरानी/समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन एवं आधारभूत सर्वेक्षण/सर्वेक्षण और कार्यशाला/गोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन के लिए व्यावसायिक प्रभार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसंधान संगठन पात्र हैं:

(1) अनुसंधान संगठन/संस्थान/परिषद्;
(2) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत नागरिक समितियाँ;
(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय;
(4) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान;
(5) स्वायत्त निकाय; और
(6) प्रतिष्ठित बाज़ार अनुसंधान एजेंसी और पेशेवरों के पंजीकृत निकाय।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ पैनल में शामिल वे ही प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसियाँ पात्र होंगी जो विशेष प्रकृति के रचनात्मक मल्टीमीडिया अभियान बनाने के लिए पात्र होंगी, जिसके लिए व्यावसायिकता, विशेषज्ञता और आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, जो सामान्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों की एजेंसियों के तहत सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के पास उपलब्ध नहीं होती है।

UNDER PUBLICATION

प्र.123 इस योजना के तहत विभिन्न प्रावधान कौन से हैं ?

उत्तर इस योजना के तहत विभिन्न प्रावधान हैं –

(i) अनुसंधान संगठन लेखा विवरण का रख-रखाव करेंगे और सरकार के पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों द्वारा अपने अंतिम लेखा-जोखा का लेखा परीक्षण कराएँगे तथा इन्हें मंत्रालय में कार्य के पूरा होने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ जमा किया जाएगा।

(ii) अनुसंधान संगठन इस योजना के तहत अनुमोदित कार्य के लिए अन्य किसी स्रोत से कोई व्यावसायिक प्रभार स्वीकार नहीं करेंगे और न ही इसके लिए आवेदन करेंगे।

(iii) अनुसंधान संगठन को अध्ययन (कार्यशालाओं/गोष्ठियों/सम्मेलनों के मामले के अतिरिक्त) पर एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उस रिपोर्ट को उस तिमाही के दौरान वास्तविक रूप से किए गए व्यय के साथ मंत्रालय में जमा कराना होगा।

(iv) परियोजना से संबंधित लेखा/दस्तावेज़ आदि, जिसके लिए व्यावसायिक प्रभार दिए गए हैं, इन्हें मंत्रालय द्वारा अधिकृत एक अधिकारी के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से संबंधित लेखे को लेखा परीक्षण के लिए भारतीय महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक या उनके द्वारा स्व-निर्णय पर उनके मनोनीत को उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) अनुसंधान संगठन इस योजना के तहत प्राप्त निधि में से एक मात्र या पर्याप्त रूप से अर्जित सभी परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार और उनका रख-रखाव करेगा। ऐसी परिसंपत्तियों का निपटान, इन पर ऋण या उपयोग मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य प्रयोजन में नहीं किया जाएगा।

(vi) अनुसंधान संगठन के परियोजना निदेशक को लिखित रूप में विधिवत् हस्ताक्षर सहित निष्पादन गारंटी के साथ एक वचन देना होगा कि वे अनुसंधान करेंगे और इसे समय पर पूरा करेंगे। अनुसंधान संगठन द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुसंधान संगठन को सौंपे गए कार्य के संदर्भ में विचारार्थ विषय (टीओआर) दिए जाएंगे।

(vii) कार्य को पूरा करने में विलंब होने पर सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) द्वारा मंत्रालय के निर्णय के अनुसार व्यावसायिक प्रभार में कमी की जा सकती है।

(viii) परियोजना निदेशक अध्ययन/सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट निर्दिष्ट अवधि के भीतर मंत्रालय में (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित) जमा करेंगे।

(ix) अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा

UNDER PUBLICATION

जिसे मंत्रालय द्वारा गठित किया जाता है और उक्त रिपोर्ट मंत्रालय की सिफ़ारिश के अनुसार प्रकाशन हेतु संस्तुत और स्वीकृत की जाएगी।

प्र.124 इस योजना के लिए किसी संगठन के चयन की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर इस योजना के लिए किसी संगठन के चयन की प्रक्रिया है–

(क) संक्रियात्मक अनुसंधान/बाज़ार अनुसंधान/क्रियानिष्ठ अनुसंधान सहित आधारभूत सर्वेक्षण/निगरानी/समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन के प्रस्ताव या तो मंत्रालय की वेबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अथवा स्वयं मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित/प्रायोजित या प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अनुसंधान संगठन मंत्रालय द्वारा सीधे आमंत्रित किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत सर्वेक्षण और समवर्ती निगरानी सहित संक्रियात्मक अनुसंधान/बाज़ार अनुसंधान/क्रियानिष्ठ अनुसंधान करने के पात्र और इच्छुक अनुसंधान संगठन वेबसाइट पर दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में मंत्रालय में आवेदन कर सकते हैं।

(ख) कार्यशाला/सम्मेलन/गोष्ठी का प्रस्ताव समाचार पत्र या मंत्रालय की वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से या सरकार द्वारा अनुसंधान संगठनों से प्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित किए जा सकते हैं या स्वयं मंत्रालय द्वारा सीधे प्रस्तावित/प्रायोजित किए जा सकते हैं । जीएफआर के सामान्य प्रावधानों का पालन इन सभी प्रक्रियाओं में किया जायेगा। कार्यशालाओं/सम्मेलनों/गोष्ठियों का आयोजन करने के लिए पात्र और इच्छुक अनुसंधान संगठन, चाहें वे सरकारी/अर्ध-सरकारी या निजी क्षेत्र के हैं, प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा के साथ मंत्रालय में आवेदन करना होगा।

(ग) मंत्रालय द्वारा विशेष प्रकृति के मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं, जिसके लिए व्यावसायिक, विशेषज्ञता और आधारिक संरचना आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जो सामान्य तौर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालयों की वेबसाइट या प्रतिष्ठित निजी मीडिया एजेंसियों की सूची में उपलब्ध नहीं होती।

UNDER PUBLICATION

संदर्भ

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. (जून 2013). *Central Sector Scheme of Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes, including Publicity*.

http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Research.pdf से लिया गया है।

UNDER PUBLICATION

UNDER PUBLICATION

संलग्नक I

भारत में अल्पसंख्यक जनसंख्या का वितरण, भारत की जनगणना, 2011

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अल्पसंख्यक जनसंख्या				
			मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन
	अखिल भारत	1,21,08,54,977	17,22,45,158	2,78,19,588	2,08,33,116	84,42,972	44,51,753
1.	अंडमान और निकोबार	3,80,581	32,413	80,984	1,286	338	31
2.	जम्मू और कश्मीर	1,25,41,302	85,67,485	35,631	2,34,848	11,22,584	2,490
3.	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	1,49,881	12,646	79,896	78,659	1,805
4.	पंजाब	2,77,43,338	5,35.489	3,48,230	1,60,04,754	33,237	45,040
5.	चंडीगढ़	10,55,450	51,447	8,720	1,38,329	1,160	1,960
6.	उत्तराखंड	1,00,86,292	14,06,825	37,781	2,36,340	14,926	9,183
7.	हरियाणा	2,53,51,462	17,81,342	50,353	12,43,752	7,514	52,613
8.	दिल्ली	1,67,87,941	21,58,684	1,46,093	5,70,581	18,449	1,66,231
9.	राजस्थान	6,85,48,437	6,215,377	96,430	8,72,930	12,185	6,22,023
10.	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	3,84,83,967	3,56,448	6,43,500	2,06,285	2,13,267
11.	बिहार	10,40,99,452	1,75,57,809	1,29,247	23,779	25,453	18,914
12.	सिक्किम	6,10,577	9,867	00,522	1,868	1,67,216	314
13.	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	27,045	4,18,732	3,287	1,62,815	771
14.	नागालैंड	19,78,502	48,963	17,39,651	1,890	6,759	2,655
15.	मणिपुर	28,55,794	2,37,836	11,79,043	1,527	7,084	1,692
16.	मिज़ोरम	10,97,206	35,832	9,56,631	286	93,411	376
17.	त्रिपुरा	36,73,917	3,16,042	1,59,882	1,070	1,25,385	860
18.	मेघालय	29,66,889	1,30,399	22,13,027	3,045	9,864	627
19.	असम	3,12,05,576	1,06,79,345	11,65,867	20,672	54,993	25,949
20.	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	2,46,54,825	6,58,618	63,523	2,82,898	60,141
21.	झारखंड	3,29,88,134	47,93,994	14,18,608	71,422	8,956	14,974
22.	ओडिशा	4,19,74,218	9,11,670	11,61,708	21,991	13,852	9,420
23.	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	5,14,998	4,90,542	70,036	70,467	61,510
24.	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	47,74,695	2,13,282	1,51,412	2,16,052	5,67,028
25.	गुजरात	6,04,39,692	58,46,761	3,16,178	58,246	30,483	5,79,654
26.	दमन और दीव	2,43,247	19,277	2,820	172	217	287
27.	दादरा और नगर हवेली	3,43,709	12,922	5,113	217	634	1,186
28.	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,29,71,152	10,80,073	2,23,247	65,31,200	14,00,349
29.	आंध्र प्रदेश	8,45,80,777	80,82,412	11,29,784	40,244	36,692	53,849
30.	कर्नाटक	6,10,95,297	78,93,065	1,14,2647	28,773	95,710	4,40,280

UNDER PUBLICATION

31.	गोवा	14,58,545	1,21,564	3,66,130	1,473	1,095	1,109
32.	लक्षद्वीप	64,473	62,268	317	8	10	11
33.	केरल	3,34,06,061	88,73,472	61,41,269	3,814	4,752	4,489
34.	तमिलनाडु	7,21,47,030	42,29,479	44,18,331	14,601	11,186	89,265
35.	पुदुच्चेरी	12,47,953	75,556	78,550	297	451	1,400

टिप्पणी: पारसियों के संबंध में जनगणना 2011 के आँकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। जबकि, जनगणना 2001 के आँकड़ों के अनुसार पारसियों (जौरास्ट्रियन) की जनसंख्या 69 हज़ार है। (स्रोत: http://www.censusindia.gov.in/2011census/c-01.html)

UNDER PUBLICATION

अल्पसंख्यक बहुलता वाले 90 जिलों (एम.सी.डी.) की सूची

वर्ग 'क'

अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिले जिनमें राष्ट्रीय औसत के नीचे सामाजिक, आर्थिक और साधारण सुविधा दोनों के संकेतक हैं।

क्र. सं.	उप-समूह क्र. सं.	राज्य	ज़िले
1.	1	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग
2.	2	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी
3.	3	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग
4.	4	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
5.	5	असम	कोकराझार
6.	6	असम	धुबरी
7.	7	असम	गोलपाड़ा
8.	8	असम	बोंगईगाँव
9.	9	असम	बारपेटा
10.	10	असम	दरांग
11.	11	असम	मरीगाँव
12.	12	असम	नागाँव
13.	13	असम	कचर
14.	14	असम	करीमगंज
15.	15	असम	हैलाकांडी
16.	16	असम	कामरूप
17.	17	बिहार	अररिया
18.	18	बिहार	किशनगंज
19.	19	बिहार	पूर्णिया
20.	20	बिहार	कटिहार
21.	21	बिहार	सीतामढ़ी
22.	22	बिहार	पश्चिम चंपारण
23.	23	बिहार	दरभंगा
24.	24	झारखंड	साहिबगंज
25.	25	झारखंड	पाकौर
26.	26	महाराष्ट्र	परभणी
27.	27	मणिपुर	थौबल
28.	28	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स

UNDER PUBLICATION

29.	29	ओडिशा	गजपति
30.	30	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर
31.	31	उत्तर प्रदेश	बदायूँ
32.	32	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
33.	33	उत्तर प्रदेश	खीरी
34.	34	उत्तर प्रदेश	शाहजहाँपुर
35.	35	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
36.	36	उत्तर प्रदेश	रामपुर
37.	37	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फुले नगर
38.	38	उत्तर प्रदेश	बरेली
39.	39	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
40.	40	उत्तर प्रदेश	बहराइच
41.	41	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
42.	42	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
43.	43	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
44.	44	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
45.	45	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
46.	46	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
47.	47	पश्चिम बंगाल	मालदा
48.	48	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
49.	49	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
50.	50	पश्चिम बंगाल	नादिया
51.	51	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 - परगना
52.	52	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
53.	53	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार

UNDER PUBLICATION

वर्ग 'ख'

उपवर्ग 'ख 1'

उन जिलों की सूची नीचे दी गई है जिनमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड राष्ट्रीय औसत से कम हैं

क्र. सं.	उपसमूह क्र. सं.	राज्य	ज़िले
54	1	अरुणाचल प्रदेश	तवांग
55	2	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग
56	3	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे
57	4	दिल्ली	उत्तरी पूर्वी
58	5	हरियाणा	मेवात
59	6	हरियाणा	सिरसा
60	7	कर्नाटक	गुलबर्गा
61	8	कर्नाटक	बीदर
62	9	मध्य प्रदेश	भोपाल
63	10	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
64	11	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
65	12	उत्तर प्रदेश	मेरठ
66	13	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
67	14	उत्तर प्रदेश	बागपत
68	15	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
69	16	उत्तरांचल	ऊधमसिंह नगर
70	17	उत्तरांचल	हरिद्वार
71	18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
72	19	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
73	20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

UNDER PUBLICATION

उपवर्ग 'ख 2'

उन जिलों की सूची नीचे दी गई है जिनमें बुनियादी सुविधा मानदंड राष्ट्रीय औसत से कम है

क्र. सं.	उपसमूह क्र. सं.	राज्य	ज़िले
74	1	अंडमान और निकोबार	निकोबार
75	2	असम	उत्तर कचर हिल्स
76	3	जम्मू और कश्मीर	लेह (लद्दाख)
77	4	झारखंड	रांची
78	5	झारखंड	गुमला
79	6	केरल	वायनाड
80	7	महाराष्ट्र	बुलढाणा
81	8	महाराष्ट्र	वाशिम
82	9	महाराष्ट्र	हिंगोली
83	10	मणिपुर	सेनापति
84	11	मणिपुर	तामेंगलांग
85	12	मणिपुर	चूरचांदपुर
86	13	मणिपुर	उखरूल
87	14	मणिपुर	चंदेल
88	15	मिजोरम	लवंगतलाई
89	16	मिजोरम	मामित
90	17	सिक्किम	पूर्वोत्तर

UNDER PUBLICATION

स्रोत: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार LIST OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (CATEGORY 'A' & 'B') *http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/MCDs_category.pdf* से लिया गया है।

राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के पते

क्र. सं.	पता
1.	आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग 1248, नेक्स्ट टू लेक व्यू गेस्ट हाउस राजभवन रोड, सोमाजीगुडा हैदराबाद- 500082 फोन नं. 040-23323211-13
2.	असम राज्य अल्पसंख्यक आयोग नीलगिरि मेंशन, ब्लॉक-बी तीसरा तल प्राइमस डायग्नोस्टिक सेंटर के पास पी. ओ. भंगागढ़, गुवाहाटी-781005
3.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग 6/साउथ बेली रोड, पटना-800001 फोन नं. 0612-2504221
4.	छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग सी-186, शैलेंद्र नगर रायपुर (सी.जी.) - 492001 फोन नं. 0771-2434809
5.	दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग प्रथम तल, सी ब्लॉक, विकास भवन नई दिल्ली - 110002
6.	झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अरजीतन होस्टेल, सेक्टर-3, धुर्वा राँची - 834004 फोन नं. 0651-2434809
7.	कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग पाँचवाँ तल, विश्वेश्वरैया टावर्स, कॉफी बोर्ड के सामने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर वीधी, बेंगलुरु -560001 फोन नं. 080-22864204/22863400, फैक्स 080-22863280
8.	मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग ई-ब्लॉक, पुराना सचिवालय भोपाल - 462 011 फोन नं. 0755-2730873

UNDER PUBLICATION

9.	उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग 14/1 लक्ष्मी रोड, देहरादून-248001 फोन नं. 0135-2671201
10.	पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग फॉरेस्ट कॉम्लेक्स टावर नं. 4 चौथा तल, सेक्टर-68, एस.ए.एस. नगर, मोहाली फोन नं. 0172-2298094, फैक्स 0172-2298080
11.	राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग कमरा नं. 8308-09, एस.एस.ओ. बिल्डिंग तीसरा तल, सचिवालय, जयपुर - 302001 फोन नं. 0141-2227437
12.	उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग 601 - इंदिरा भवन लखनऊ – 226001
13.	मणिपुर राज्य अल्पसंख्यक आयोग मिनिस्टर्स ब्लॉक, प्रथम तल कमरा नं. 140 और 141, सचिवालय इम्फाल – 795001
14.	पश्चिम बंगाल राज्य अल्पसंख्यक आयोग खाद्य भवन, 11 ए, मिर्जा गालिब स्ट्रीट कोलकाता - 700087 फोन नं. 2252-0393/94, फैक्स 2252-0399
15.	महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग तैयबजी मार्ग, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुबंई - 400001 फोन नं. 22610156
16.	केरल राज्य अल्पसंख्यक आयोग अंजानया टी. सी - 9/1023/2 सस्थामंगलम तिरुवनंतपुरम – 695010
17.	तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग 735, अन्ना सलाई एल.एल.ए. बिल्डिंग तीसरा तल, चेन्नई – 600002

UNDER PUBLICATION

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा अरबी मदरसों/संस्थानों के मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम

(क) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2)/मध्यवर्ती स्तर के अंग्रेज़ी के साथ निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को बी.ए./बी.ए. (ऑनर्स) के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में दाखिले के प्रयोजन हेतु मान्यता दी गई है—

(1) फाज़िल - ए-अदब, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(2) दाबीर कामिल, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) आलमियत ऑफ दारुल उलूम नदवातुल उलेमा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
(4) फज़िलत ऑफ मदरसातुल इस्लाह, सरायमीर, आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश
(5) आलमियत ऑफ जमियतुल फलाह, बिलारीयंज, आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश
(6) आलमियत ऑफ जामयतुर रशाद, आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश
(7) फाज़िल ऑफ वेस्ट बंगाल मदरसा एजुकेशन बोर्ड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
(8) आलमियत ऑफ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, पटना, बिहार
(9) आलमियत ऑफ दारुल उलूम, ताज-उल-मस्जिद, भोपाल, मध्य प्रदेश
(10) आलमियत ऑफ जामिया दरुस्सलाम, ऊमराबाद, वेल्लोर, तमिलनाडु
(11) आलमियत ऑफ जामिया सिराजुल उलूम, अल सलाफिया, झंडा नगर, नेपाल
(12) आलमियत ऑफ जामिया इस्लामिया काशीफुल उलूम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
(13) आलमियत ऑफ अल-जामियातुस-सलाफिया (मरकाज़ी दारुल उलूम), रेवरी तालाब, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
(14) आलमियत ऑफ जामिया सैयद नज़ीर हुसैन मुहादिस, फाटक हबश खान, दिल्ली
(15) आलमियत ऑफ जामिया आलिया अरेबिया, आलियानगर, मऊ नाथ भंजन, उत्तर प्रदेश
(16) आलमियत ऑफ अल-जामियातुल इस्लामिया, तिलकहना, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश
(17) फज़िलत ऑफ मदरसा रियाजुल उलूम, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली
(18) फज़िलत ऑफ जामियतुस सालेहात, रामपुर, उत्तर प्रदेश
(19) फज़िलत ऑफ जामिया इस्लामिया, सनाबिल, नई दिल्ली
(20) फज़िलत ऑफ जामिया मोहम्मदिया, मालेगाँव, नासिक, महाराष्ट्र

UNDER PUBLICATION

(21) फज़िलत ऑफ कलकत्ता मदरसा कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(22) फज़िलत ऑफ दारुल उलूम अशरफिया मिसबाहुल उलूम, मुबारकपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

(23) आलिम, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(24) आलमियत ऑफ जामिया इब्न तैमिया, चंपारण, बिहार

(25) आलमियत ऑफ नूरुल इस्लाम एजुकेशनल सोसायटी, निस्वान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(26) आलिम ऑफ तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट, किशनगंज, बिहार

(27) आलमियत ऑफ जामिया मिसबाहुल उलूम, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश

(28) आलिम ऑफ दारुल उलूम अल-इस्लामिया, बस्ती, उत्तर प्रदेश

(29) आलमियत ऑफ दारुल उलूम अहमदिया सैलफिया, दरभंगा, बिहार

(30) शाहदतुल इख्तिसास ऑफ अल-महादुल आली अल-इस्लामी, हैदराबाद, तेलंगाना

(31) फज़िलत ऑफ अल-जामिया अल-इस्लामिया दारुल-उलूम, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश

(32) फज़िलत ऑफ अलमदरसातुल इस्लामिया, राजनगर, भावरा, मधुबनी, बिहार

(33) मौलवी फाज़िल सक्फी ऑफ मरकाजुस सक्वाफत सुननिय्या, करंथुर, कोझिकोड, केरल

(34) आलमियत ऑफ जामिया सैयद अहमद शहीद, मलीहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(35) आलमियत ऑफ दारुल उलूम आलमियत, जामदा शाही, बस्ती, उत्तर प्रदेश

(36) आलिया ऑफ दारुल हुदा इस्लामी अकादमी, केरल

(37) फज़िलत ऑफ अल-महादुल इस्लामिया अस-सलाफी, ऋचा, बरेली, उत्तर प्रदेश

(38) आलमियत ऑफ दारुल उलूम वरसिया, विशाल खंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(39) फज़िलत ऑफ भादो जामिया इस्लाहुल मुस्लेमीन, मालदा, पश्चिम बंगाल

(40) फज़िलत ऑफ जमियातुल बनत अलमुस्लिमात, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

(41) आलमियत ऑफ जामिया इस्लामिया, मुजफ्फरपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

(42) आलमियत ऑफ जामिया-तुल-हिदाया, जयपुर, राजस्थान

(43) आलमियत ऑफ जामिया-तुल बनत अल-इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली

(44) आलमियत ऑफ अल-जामियातुल इस्लामिया, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश

(45) आलमियत ऑफ जामिया इस्लामिया, चौक बाज़ार, भटकल, कर्नाटक

(46) फज़िलत ऑफ जामिया इस्लामिया, कौसा, ठाणे, मुंबई, महाराष्ट्र

(47) फज़िलत ऑफ जामिया इस्लामिया अरब गुलजार-ए-हुसैनिया, अजरारा, मेरठ, उत्तर प्रदेश

UNDER PUBLICATION

(48) आलमियत ऑफ जमियतुल मोमिनात, हैदराबाद, तेलंगाना

(49) आलमियत ऑफ जामिया अरिफिया, सैयद सारवां, कौशांबी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

(ख) निम्नलिखित मदरसों के स्नातक, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र/मध्यवर्ती स्तर की परीक्षा अंग्रेज़ी में उत्तीर्ण करने के बाद अलग से बी.ए./बी.ए. (ऑनर्स) प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भर्ती हो सकते हैं –

(1) दारुल उलूम, देवबंद, उत्तर प्रदेश

(2) मदरसा-ए-आलिया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(3) मदरसा-ए-आलिया, फतेहपुरी, दिल्ली

(4) मदरसा मज़हिरुल उलूम, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

(5) मदरसातुल उलूम हुसैन बख्श, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली

(6) आलमियत ऑफ जमी-उल-उलूम फुरकानिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश

(7) आलमियत ऑफ जामिया इस्लामिया, पना बिल, नई दिल्ली

(8) आलमियत ऑफ जामियातुस सालेहात, रामपुर, उत्तर प्रदेश

(9) फाजिल ऑफ मदरसा अमीनिया, कश्मीरी गेट, दिल्ली

(10) आलमियत ऑफ काशिफिया शैक्षणिक एवं उपदेश केंद्र, बनिहाल, कश्मीर

(11) आलमियत ऑफ मदरसा रिजूल उलूम, जामा मस्जिद, दिल्ली

(12) आलमियत ऑफ जामिया असारिया, दारुल हदीस, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश

(13) आलिम ऑफ जामिया अरबिक शम्सुल उलूम, शाहदरा, दिल्ली

(14) आलमियत/फज़िलत ऑफ जामियातुल-तैयबात, कानपुर, उत्तर प्रदेश

(15) आलमियत ऑफ जामिया सिराजुल उलूम, बोंडीहार, गोंडा, उत्तर प्रदेश

(16) आलमियत ऑफ अल-जामिया-अल-इस्लामिया, खैरुल उलूम, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश

(17) आलमियत ऑफ जामियातुल बनत, गया, बिहार

(18) आलमियत ऑफ जामिया एहसानुल बनत, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

(19) आलमियत ऑफ जामिया मोहम्मदिया, मालेगाँव, नासिक, महाराष्ट्र

(20) फज़िलत ऑफ जामिया हुसैन अरबिया, रायगढ़, महाराष्ट्र

UNDER PUBLICATION

जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रदान किए गए ऐसे अन्य मदरसे।

(ग) जामिया वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2) योजना की अंग्रेज़ी परीक्षा में बैठने की अनुमति जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा मान्यताप्राप्त मदरसों के स्नातकों और उपरोक्त मद (2) के अंतर्गत सूचीबद्ध केवल निजी प्रत्याशियों के रूप में दी जा सकती है।

(घ) अदीब कामिल ऑफ जामिया उर्दू, अलीगढ़, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ या किसी अन्य विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में बी.ए. स्तर उत्तीर्ण किया है जिसके बाद उन्हें अलग से एम.ए. उर्दू पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्यता दी गई है।

(ङ) सभी विषयों में ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए और जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए जामियातुल हिदाया, जयपुर का एस.ए.एन.वी.आई. प्रमाणपत्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (दसवीं कक्षा) के समकक्ष है।

(स्रोत : http://jmi.ac.in/upload/admission/cdol_prospectus_2017.pdf)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) द्वारा अरबी मदरसों/संस्थानों के मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम

(1) फाज़िल ऑफ मदरसा अल जामियतुल मोहम्मदिया, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश

(2) आलिम ऑफ मदरसा नयबतुल ओल्मा जामिया अमजदिया रज़विया, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश

(3) आलिम/आलमियत ऑफ मदरसा जाम-ए-तुल बनत, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

(4) आलिम/आलमियत ऑफ जामिया सिराजुल उलूम अल-सलाफिया, कपिलबस्तु , नेपाल

(5) आलमियत ऑफ मदरसा जामियातुल कासिम, सुपौल, बिहार

(6) आलमियत/फाजिल ऑफ मदरसा जामिया फैजिया हक्कानिया, मालदा, पश्चिम बंगाल

(7) आलिम/फाजिल ऑफ जामिया अशरफुल उलूम-महमूदाबाद, केंद्रपाड़ा, ओडिशा

(8) आलिम ऑफ मदरसा जामिया उलूम उल कुरान, भरूच, गुजरात

(9) आलिम/फाजिल ऑफ मदरसा जामिया मजहर-ए-सहादत, भरूच, गुजरात

(10) आलिम/फाजिल ऑफ मदरसा दारुल उलूम, भरूच, गुजरात

UNDER PUBLICATION

(11) आलिम ऑफ मदरसा जामियतुल उलूम-गाधा, साबरकांठा, गुजरात

(12) आलिम ऑफ मदरसा उम्महत-उल-मोमिनीन लील बनत, अलीगढ, उत्तर प्रदेश

(13) आलमियत ऑफ मदरसा जामिया-तुल-बनत, ओखला, नई दिल्ली

(14) आलमियत/आलिम ऑफ मदरसा अल-जामियातुल इस्लामिया, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश

(15) आलमियत/आलिम ऑफ मदरसा निसारुल उलूम, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

(16) इख्तिसास फि-उलूम अल-कुरान, उलूम अल-हदीथ, उलूम अल-फाइग अल-इस्लामी और इख्तिसास फि अल दवाह ऑफ मदरसा अल-महादुल अली-अल-इस्लामी, हैदराबाद, तेलंगाना

(17) शरिया ऑफ अल-जामिया अल-इस्लामिया, मलाप्पुरम, केरल

(18) फाजिल एंड कन्डैंस्ड कोर्स ऑफ फाजिल (बी.ए. के साथ 6 वर्ष) ऑफ मदरसा जामिया इस्लामिया मदीनातुल उलूम, बर्दवान, पश्चिम बंगाल

(स्रोत- कार्यालय ज्ञापन सं. अकेडमी/डी-659/ए.एफ. दिनांक 08.07.2014 और सं. अकेडमी/डी-736/ए.एफ. दिनांक 19.07.2014)

UNDER PUBLICATION

योजनाएँ

क्र. सं.	योजनाएँ	पृष्ठ
1.	प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम http://www.minorityaffairs.gov.in/prime-ministers-15points	7
2.	सच्चर समिति http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/sachar_comm.pdf	22
3.	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/MsDP_Guidelines_hi.pdf	28
4.	सर्व शिक्षा अभियान http://mhrd.gov.in/hi/sarva-shiksha-abhiyan-hindi	30
5.	बालिका छात्रावास योजना http://mhrd.gov.in/hi/girls_hostel_hindi	31
6.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान http://mhrd.gov.in/rmsa	32
7.	प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा नीति http://icds-wcd.nic.in/schemes/ECCE/ecce_01102013_hin.pdf	32
8.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Pre-matric%20Scheme%20in%20Hindi%20%282017%29.pdf	37
9.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Post-matric%20Scheme%20in%20Hindi%20%282017%29.pdf	39
10.	मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Merit-Cum-Means%20Scheme%20%282017%29.pdf	42
11.	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान www.maef.nic.in	45
12.	ख्वाजा गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना http://maef.nic.in/CategoryContent.aspx?Id=359	47

UNDER PUBLICATION

13.	एम.फिल. और पीएच.डी. अध्ययनरत अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येवत्तावृत्ति http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Guideline-MANF_0.pdf	48
14.	नया सवेरा योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Compendium_of_Schemes_Programmes.pdf	51
15.	विज्ञान विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट नये घटक http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Hindi-Booklet.pdf	53
16.	नई उड़ान योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/NaiUdaan-Hindi.pdf	53
17.	मौलाना आज़ाद सेहत योजना http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Hindi-Booklet.pdf	55
18.	नई रोशनी योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Nai%20Roshni-Guidelines.pdf	57
19.	सीखो और कमाओ योजना http://www.minorityaffairs.gov.in/schemesperformance/seekho-aur-kamaolearn-earn-scheme-skill-development-minorities	60
20.	पढ़ो परदेश योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/PadhoPardesh-Hi.pdf	63
21.	नई मंज़िल योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Guidelines-NaiManzil-hi.pdf	65
22.	उस्ताद: पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Usttad-hindi.pdf	66
23.	हमारी धरोहर योजना http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/hamari_dharohar-Guidelines.pdf	67
24.	डिजिटल साक्षरता के लिए साइबर ग्राम http://www.cybergramyojana.in/	69

UNDER PUBLICATION

25.	साक्षर भारत योजना http://mhrd.gov.in/hi/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SaaksharBharat_Decmber.pdf	72
26.	जन शिक्षण संस्थान http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/JSS_Guidelines.pdf	72
27.	मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम http://mhrd.gov.in/hi/edu_madrasas-hindi	73
28.	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम http://mhrd.gov.in/hi/idmi-hindi	74
29.	नालंदा परियोजना http://vikaspedia.in/social-welfare/minority-welfare-1/nalanda-scheme	76
30.	अल्पसंख्यक अधिकार पुरस्कार http://ncm.nic.in/Minority-Rights-Awards.html	76
31.	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Research.pdf	77

UNDER PUBLICATION

अल्पसंख्यकों की शिक्षा: महत्वपूर्ण संदर्भ

Article 26, Article 29, Article 30, Article 350A, Article 350B
http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-indexenglish.htm

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
http://mhrd.gov.in/hi/rte-hindi

Education of Minorities
http://mhrd.gov.in/educationaldevelopment-minorities

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
http://www.minorityaffairs.gov.in/hi/faq

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय
http://socialjustice.nic.in/

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)
http://mhrd.gov.in/hi

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
http://minorityaffairs.gov.in/hi

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)
http://ncm.nic.in/

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई)
http://ncmei.gov.in/index.aspx?langid=2

National Monitoring Committee for Minorities Education (NMCME)
http://mhrd.gov.in/national-monitoring-committee-minorities-education

केंद्रीय सरकारी योजनाएँ
https://www.india.gov.in/hi/my-government/schemes

University Grants Commission (UGC)
http://www.ugc.ac.in/

सर्व शिक्षा अभियान
http://mhrd.gov.in/hi/sarva-shiksha-abhiyan-hindi

प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम
http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/pm15points_hguide.pdf

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद्
http://www.urducouncil.nic.in/HindiWeb.html

Minority Cell, National Council of Educational Research and Training
www.ncert.nic.in/departments/nie/degsr/MC/minority_cell.html

National Council for Vocational Training (NCVT)
http://dget.nic.in/content/innerpage/national-council-on-vocational-training-ncvt.php

Maulana Azad National Fellowship
http://www.ugc.ac.in/manf/

Naya Savera
http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Hindi-Booklet.pdf

नई मंज़िल
http://minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Guidelines-NaiManzil-hi.pdf

मॉडल विद्यालय
http://mhrd.gov.in/hi/model_school-hindi

बालिका छात्रावास योजना
http://mhrd.gov.in/hi/girls_hostel-hindi

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
http://www.minorityaffairs.gov.in/sites/default/files/Pre-matric%20Scheme%20in%20Hindi%20%282017%29.pdf

UNDER PUBLICATION

UNDER PUBLICATION

स्रोत: **1** *http//unicef.in/PhotoAlbums/42/Teachers-Day-Report-Card*

2 *Barkhaa: A Reading Series for 'All' Try Out in Hindi States:A Report (Monograph), 2016, Department of Education of Groups with Special Needs, NCERT*

3 *Singh, Dhiraj. Youth with disabilities and innovations; Making the world inclusive for all. 2013.unicef.org. Web.*

4 *https://www.asiaforgood.com/article.four-fintech-start-ups-are-championing-financial-inclusion-india*

5 *Surat, India - 20 March, 2015: Parsi children at a welfare home in Surat, India, on Friday, 20 March, 2015.*

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
National Council of Educational Research and Training